पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–23] रुड़की, शनिवार, दिनांक 30 जुलाई, 2022 ई0 (श्रावण 08, 1944 शक सम्वत्) [संख्या–31

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	627–637	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	669–680	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	—	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	—	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	—	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	299–321	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–1

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

01 जुलाई, 2022 ई0

संख्या 835/XXXI(1)/2022/पदो0–01/2020–उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा संवर्ग के अन्तर्गत अनु सचिव के पद पर कार्यरत श्री ब्योमकेश दूबे को नियमित चयनोपरान्त उप सचिव, वेतनमान लेवल–12 के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री ब्योमकेश दूबे, उप सचिव को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3– उक्त प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 394 (एस0बी0)/2021 ललित मोहन आर्य व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

4– उप सचिव के पद पर पदोन्नत होने वाले उक्त अधिकारी की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जाएंगे।

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

01 जुलाई, 2022 ई0

संख्या 836/XXXI(1)/2022/पदो0–01/2020–उत्तराखण्ड सचिवालय सेवा संवर्ग के अन्तर्गत अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यरत श्रीमती कुसुम मलेठा को नियमित चयनोपरान्त अनु सचिव, वेतनमान लेवल–11 के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्रीमती कुसुम मलेठा, अनुसचिव को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3– उक्त प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 394 (एस0बी0)/2021 ललित मोहन आर्य व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

4– अनुसचिव के पद पर पदोन्नत होने वाले उक्त अधिकारी की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जाएंगे।

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

01 जुलाई, 2022 ई0

संख्या 837/XXXI(1)/2022/पदो0–01/2021–उत्तराखण्ड सचिवालय संवर्ग के अन्तर्गत समीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यरत निम्नलिखित कार्मिकों को नियमित चयनोपरान्त अनुभाग अधिकारी, वेतन लेवल–10 के रिक्त पदों पर कार्यभार ग्रहण किये जाने की तिथि से अस्थाई रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) श्रीमती अनिता असवाल
(2) श्री बृजेश कुमार टम्टा
(3) श्री चन्द्रशेखर
(4) श्री नरोत्तम कुमार
(5) श्रीमती आँचल बिष्ट

2– उपरोक्त अनुभाग अधिकारियों को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा पर रखा जाता है।

3– उक्त प्रोन्नति मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या–394 (एस0बी0)/2021 ललित मोहन आर्य व अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

4– उक्त पदोन्नत अनुभाग अधिकारियों की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

5– उक्त अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–01 में अनुभाग अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

राधा रतूडी,
अपर मुख्य सचिव।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग–02

अधिसूचना

02 मई, 2022 ई0

संख्या I/32360/2022–उत्तराखण्ड राज्य में स्थित बांधों की सुरक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा अधिसूचित Dam Safety Act, 2021 की धारा–14 में निहित प्राविधान के अन्तर्गत राज्य में State Dam Safety Organization (SDSO) का गठन निम्नानुसार किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते है :–

1	अध्यक्ष	मुख्य अभियन्ता, देहरादून।
2	सदस्य	1. मुख्य अभियन्ता, स्तर–I, परिकल्प एवं निदेशक, सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रूडकी द्वारा नामित अधीक्षण अभियन्ता। 2. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, ऊधमसिंहनगर। 3. अधीक्षण अभियन्ता, नलकूप मण्डल, रूड़की। 4. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य (पुनर्वास) मण्डल, ऋषिकेश। 5. प्रबंध निदेशक, यू0पी0डी0सी0सी0 द्वारा नामित प्रबंधक (सिविल)। 6. प्रबंध निदेशक, यू0जे0वी0एन0एल0 द्वारा नामित प्रबंधक (सिविल)। 7. प्रबंध निदेशक, यू0जे0वी0एन0एल0 द्वारा नामित प्रबंधक (यांत्रिक)। 8. उप महा निदेशक, भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण, देहरादून द्वारा नामित भू–वैज्ञानिक।

उपरोक्तानुसार गठित State Dam Safety Organization (SDSO), भारत सरकार द्वारा अधिसूचित Dam Safety Act, 2021 में निहित प्राविधानों के अनुसार समयबद्ध रूप से कार्यवाही सुनिश्चित करेगा।

अधिसूचना

02 मई, 2022 ई0

संख्या I/32361/2022–उत्तराखण्ड राज्य में स्थित बांधों की सुरक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा अधिसूचित Dam Safety Act, 2021 की धारा–11 में निहित प्राविधान के अन्तर्गत राज्य में State Committee on Dam Safety (SCDS) का गठन निम्नानुसार किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते है :–

1	**अध्यक्ष** (Chairperson Ex officio)	**प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।**
2	**सदस्य**	1. मुख्य अभियन्ता, स्तर–I, परिकल्प एवं निदेशक, सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रूडकी। 2. मुख्य अभियन्ता, स्तर–II, सिंचाई विभाग उत्तराखण्ड देहरादून। 3. प्रबंध निदेशक, यू0पी0डी0सी0सी0 द्वारा नामित महाप्रबंधक (सिविल)। 4. प्रबंध निदेशक, यू0जे0वी0एन0एल0 द्वारा नामित महाप्रबंधक (सिविल)।
3	**अन्य सदस्य** 1. डाऊन स्ट्रीम राज्य के सदस्य के रूप मे	1. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नामित मुख्य अभियन्ता (सिविल)। 2. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, हरियाणा द्वारा नामित मुख्य अभियन्ता (सिविल)।
	2.अपस्ट्रीम राज्य (हिमाचल) के सदस्य के रूप में	1. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा नामित मुख्य अभियन्ता (सिविल)।
4	जल विज्ञान (Hydrology) एवं डैम डिजाईन हेतु तकनीकी विशेषज्ञ	1. Sh. N.K. Samadhiya, Professor, IIT, Roorkee narendra. samadhiya @ce.iitr.ac.in 2. Shri B.K. Yadav, Professor,IIT, Roorkee brijesh. yadav@ hy . iitr.ac.in
5	अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग द्वारा नामित प्रतिनिधि सदस्य (निदेशक के स्तर से निम्न नहीं)	
6	अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा नामित प्रतिनिधि सदस्य (निदेशक के स्तर से निम्न नहीं)	

उपरोक्तानुसार गठित समिति, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित Dam Safety Act, 2021 में निहित प्राविधानों के अनुसार समयबद्ध रूप से कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।

आज्ञा से,

हरिचन्द्र सेमवाल,
सचिव।

सिंचाई अनुभाग एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग–2

अधिसूचना

13 जुलाई, 2022 ई0

संख्या 727/II(2)-2022-06(18)/2020–चूंकि राज्य सरकार जनपद देहरादून के सीमान्तर्गत ऋषिकेश क्षेत्र में ढालवाला ड्रेन से पशुलोक बैराज एवं पशुलोक बैराज से हरिपुर कलां तक गंगा नदी के दायें तट तक (ऋषिकेश, खड़कमाफ, गौहरीमाफी, रायवाला एवं हरिपुर परगना–परवादून) अनुसूची एक और दो में उल्लिखित बाढ़ मैदान क्षेत्र को चिन्हित कर भूमि के उपयोग हेतु प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने की घोषणा का आशय रखती है;

और चूंकि राज्य सरकार को ऐसे क्षेत्रों को बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर या अन्यथा बाढ़ मैदान क्षेत्रों को चिन्हित कर उनमें भूमि के उपयोग को प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने के आशय की घोषणा अधिसूचना द्वारा कर सकने की शक्ति है;

अतएव, अब, राज्यपाल उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 की धारा 8 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके इस अधिसूचना के संलग्नक अनुसूची एक और दो में उल्लिखित बाढ़ मैदान क्षेत्र को चिन्हित कर, भूमि के उपयोग हेतु प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित क्षेत्रों को भूमि के उपयोग हेतु प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने की घोषणा सहित इन क्षेत्रों में निम्नलिखित कार्य सम्पादित किए जा सकने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

क्र.सं.	क्षेत्र	अनुमन्य कार्यों का विवरण
1	प्रतिषिद्ध क्षेत्र	तटबन्ध/बाढ़ प्रबन्धन, खनन, वृक्षारोपण, कृषि, स्नान घाट निर्माण, नदी तटीय विकास, सिंचाई, पेयजल योजना, जलक्रीड़ा, जल परिवहन, सेतु आदि से सम्बन्धित निर्माण/गतिविधियां। "परन्तु राज्य सरकार अधिनियम की मूल भावना का अनुपालन करते हुए, कि नदी की धारा/प्रवाह में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो, जनहित में, प्रकरण विशेष में, उपरोक्त उल्लिखित कार्य के साथ–साथ समान प्रकृति के अतिरिक्त अन्य कार्यों को भी करने की अनुमति राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा प्रदान कर सकेगी।"
2	निर्बन्धित क्षेत्र	पार्क, खेल का मैदान, मत्स्य पालन, कृषि आदि के सम्बन्ध में निर्माण/गतिविधियॉं और समय–समय पर होने वाले धार्मिक मेलों हेतु अस्थाई/स्थाई निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होंगे कि उक्त गतिविधियों द्वारा उत्सर्जित होने वाला जल–मल व ठोस अपशिष्ट का पूर्णतः समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित करते हुये उक्त का अनापत्ति प्रमाण पत्र/परीक्षण उत्तराखंड पेयजल निगम से कराया जायेगा, इस क्षेत्र में पूर्व से विद्यमान निर्माण, जो जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं, की विद्यमान भू–आच्छादन 35 प्रतिशत, तल क्षेत्र अनुपात 1:5 व भवन की अधिकतम ऊंचाई 7.50 मी0 अथवा दो मंजिल की सीमा तक पुनर्निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होगा कि क्षेत्र में सीवरेज व्यवस्था उपलब्ध हो। निर्माण अनुमन्य होने की स्थिति में उच्च बाढ़ तल (High Flood Level)से भवन का न्यूनतम प्लिंथ लेवल (Plinth Level) 1.00 मीटर होगा एवं क्षेत्र की सीवरेज व्यवस्था का समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित करने के साथ–साथ उत्तराखंड पेयजल निगम से परीक्षण/अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक होगा। "परन्तु राज्य सरकार अधिनियम की मूल भावना का अनुपालन करते हुए, कि नदी की धारा/प्रवाह में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो, जनहित में, प्रकरण विशेष में, उपरोक्त उल्लिखित कार्य के साथ–साथ समान प्रकृति के अतिरिक्त अन्य कार्यों को भी करने की अनुमति राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा प्रदान कर सकेगी।"

राज्यपाल, यह भी निर्देश देते है कि राज्य सरकार उक्त अधिसूचना के समाचार पत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 60 दिन के भीतर हितबद्ध व्यक्तियों से आपत्तियां एवं सुझाव जिलाधिकारी/बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, देहरादून के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को लिखित रूप में दिए जाने और उन पर सम्यक् रूप से विचार करने के पश्चात् प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने की घोषणा की अंतिम अधिसूचना जारी कर सकेगी।

टिप्पणी– प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित क्षेत्रों का विवरण हितबद्ध व्यक्तियों के निरीक्षण हेतु एनआईसी देहरादून एवं प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून की वेबसाइट के साथ–साथ जिलाधिकारी, देहरादून के कार्यालय में भी उपलब्ध है।

अधिसूचना संख्याः— 727/II(2)-2022 06(18)/2020 दिनांक 13 जुलाई 2022

उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम–2012 के अन्तर्गत 25 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति सीमा में समस्त परिसम्पतियों के स्वामियों की पंजिका विवरण अनुसूची।

गंगा नदी बाढ मैदान परिक्षेत्रण की प्रतिषिद्ध (Prohibited) अनुसूची–1

जनपद देहरादून के सीमान्तर्गत ऋषिकेश क्षेत्र में ढालवाला ड्रेन से पशुलोक बैराज एवं पशुलोक बैराज से हरिपुर कलां तक गंगा नदी के दायें तट तक ऋषिकेश, खड़कमाफ, गौहरीमाफी, रायवाला एवं हरिपुर परगना–परवादून/तहसील–ऋषिकेश/जिला–देहरादून

ग्राम का नाम	खाता खतौनी संख्या	खसरा नं0/ गाटा सं0	बाढ मैदानी परिक्षेत्र में स्थित भूमि की माप क्षेत्रफल है0 में	वर्तमान भू–उपयोग		भूमि की श्रेणी	अभ्युक्ति
				भूमि का प्रकार	संरचना का प्रकार		
ऋषिकेश	58	58	2.0772	गंगा नदी	घाट एवं गंगा नदी		
	299	299	43.9176	गंगा नदी	घाट एवं गंगा नदी		
वीरभद्र	कक्ष संख्या–1	-	25.23	गंगा नदी का दाया किनारा एवं वन भूमि	जंगल–झाडी रेतीला		
	कक्ष संख्या–2	-	46.66	गंगा नदी का दाया किनारा एवं वन भूमि	जंगल–झाडी रेतीला		
खड़कमाफ	33, 84,181,291, 305, 410, 431, 439	22 मि0	5.2610	कृषि/बंजर	कृषि/बंजर	स0भू0 व श्रेणी–5	
	433,40,64,84,109 , 180,181,258,291, 303, 305,328,351,410, 430, 433,431,437,440	23 मि0	18.0597	कृषि/आ0/ सिंलिंग/बंजर	कृषि/आ0/ सिंलिंग/बंजर	स0भू0 व श्रेणी–4 अ श्रेणी–5	
	159, 303	24 मि0	0.0540	कृषि	कृषि	स0भू0	
	50	25 मि0	0.1880	कृषि	कृषि	स0भू0	
	440	26 मि0	0.0430	बंजर	कृषि/आ0	श्रेणी–5	
	439	27 मि0	0.4630	बंजर	कृषि/आ0 /पटटेदार	श्रेणी–5	
	440	28 मि0	0.2820	बंजर	कृषि/आ0 /पटटेदार	श्रेणी–5	
	440	29 मि0	0.1190	बंजर	आ0 /पटटेदार	श्रेणी–5	
	439	30 मि0	0.2330	बंजर	कृषि/आ0 /पटटेदार	श्रेणी–5	
	440	31 मि0	0.0440	बंजर	बंजर	श्रेणी–5	
	440	32 मि0	1.0600	बंजर	कृषि/आ0 /पटटेदार	श्रेणी–5	
	443	34, 35, 36, 110 मि0	1.0940	गंगा जी	खाली	श्रेणी–6(1)	
	439	37 मि0	0.4090	बंजर	खाली/कृषि	श्रेणी–5	
	440	38 मि0	0.1420	बंजर	कृषि	श्रेणी–5	
	251	39 मि0	0.2930	कृषि/आ0	कृषि/आ0	स0भू0	
	29,191	40 मि0	0.6570	कृषि/आ0	कृषि/आ0	स0भू0	
	49	46 मि0	0.0650	कृषि	कृषि	स0भू0	
	441	64 मि0	0.1000	नाला	नाला	श्रेणी–6(1)	

	442	101 मि0	0.0100	गूल	गूल	श्रेणी–6(1)	
	3, 34,72, 160,186, 192, 302, 320	106 मि0	0.0470	कृषि	कृषि	स0भू0	
	34,72,160,245	107 मि0	0.0410	कृषि	कृषि	स0भू0	
	34,41,42	108 मि0	0.7430	कृषि	कृषि/सड़क	स0भू0	
	34,72,160	109 मि0	0.1170	कृषि	कृषि/सड़क	स0भू0	
	108, 419	111 मि0	1.0530	कृषि	कृषि/सड़क	स0भू0	
	76, 122, 186, 245	112 मि0	0.1000	कृषि	कृषि	स0भू0	
	5,442	113 मि0	0.0650	कृषि/गूल	कृषि/गूल	स0भू0 श्रेणी–6–1	
	353, 250, 318	114 मि0	0.5230	कृषि	कृषि	स0भू0	
	303	122मि0	0.1500	कृषि	कृषि	स0भू0	
	48,108,73,348	129 मि0	0.7290	कृषि	कृषि	स0भू0	
	440	131 मि0	5.6500	बंजर	कृषि/ पट्टेदार	श्रेणी–5–3 (ड.)	
	438	138, 139, 140मि0	42.5780	वन विभाग	वन/स्कूल	श्रेणी–5	
	445	22/141 मि0	0.3040	सड़क खाम	सड़क	श्रेणी–6(2)	
गौहरीमाफी	8, 22, 46, 67, 97,213, 308, 338, 360, 378, 409	162	1.549	कृषि	कृषि	स0भूमिधर	
	125, 486	163	0.101	कृषि, वन सरकारी	कृषि, वन	स0भू0 श्रेणी–5	
	486	164	2.706	वन भूमि	वन	श्रेणी–5	
	125, 227, 420, 486	165	1.716	कृषि, वन	वन	स0भू0 श्रेणी–5	
	213, 486	166	0.032	कृषि, वन	वन	श्रेणी–5	
	483, 213, 486	169	3.042	कृषि, वन	कृषि, वन सीलिंग	स0भू0 श्रेणी–5 श्रेणी–4	
	172, 378, 483	180	0.711	कृषि, सीलिंग	कृषि, सीलिंग	स0भू0 श्रेणी–4	
	483	181	0.740	कृषि, सीलिंग	कृषि, सीलिंग	श्रेणी–4	
	486	167	0.105	वन भूमि	वन भूमि	श्रेणी–5	
	486	168	0.012	वन भूमि	वन भूमि	श्रेणी–5	
	491, 378, 16, 315, 406, 460, 468, 470, 483	250	nil	कृषि, नदी	कृषि, नदी	स0भू0 श्रेणी–6 (1)	
	486	252	0.285	वन भूमि	वन	श्रेणी–5	
	378, 486	253	2.438	कृषि, वन	वन	श्रेणी–5	
	486	254	0.1650	वन भूमि	वन	श्रेणी–5	
		255	52.970	वन भूमि, सीलिंग नदी	वन भूमि, सीलिंग, नदी	श्रेणी–5, श्रेणी–4, श्रेणी–6	
सायवाला	906, 909	395	3.268	बंजर, नदी	बंजर, नदी	श्रेणी–6 व 5	
	906, 291, 911, 828, 748, 910, 912, 916, 67, 20, 687, 914, 904	824	10.764	नदी (जलमग्न)	नदी	श्रेणी–6	
	904	807	19.665	वन भूमि	वन	श्रेणी–5	
	909, 904	825	68.833	नदी, वन भूमि	नदी, वन	श्रेणी–5 व 6	
हरिपुरकलां	1564	531 ख	1.9000	बंजर भूमि	नदी	5–3–ड,	
	1376	556 ख	0.0600	कृषि	खाली	स0भू0	

अधिसूचना संख्याः– 727/II(2)-2022 06(18)/2020 दिनांक 13 जुलाई 2022

उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम–2012 के अन्तर्गत 100 वर्षीय बाढ़ आवृत्ति सीमा में समस्त परिसम्पतियों के स्वामियों की पंजिका विवरण अनुसूची।

गंगा नदी बाढ मैदान परिक्षेत्रण की निर्बन्धित (Restricted) अनुसूची–2

जनपद देहरादून के सीमान्तर्गत ऋषिकेश क्षेत्र में ढालवाला ड्रेन से पशुलोक बैराज एवं पशुलोक बैराज से हरिपुर कलां तक गंगा नदी के दायें तट तकऋषिकेश, खड़कमाफ, गौहरीमाफी, रायवाला एवं हरिपुर परगना–परवादून/तहसील–ऋषिकेश/जिला–देहरादून

ग्राम का नाम	खाता खतौनी संख्या	खसरा नं0/गाटा सं0	बाढ मैदानी परिक्षेत्र में स्थित भूमि की माप क्षेत्रफल है0 में	वर्तमान भू–उपयोग		भूमि की श्रेणी	अभ्युक्ति
				भूमि का प्रकार	संरचना का प्रकार		
ऋषिकेश	58	58	2.6648	गंगा नदी	घाट एवं गंगा नदी	गंगा नदी	
	299	299	1.0193	गंगा नदी	घाट एवं गंगा नदी	गंगा नदी	
वीरभद्र	कक्ष संख्या–1	–	3.04	गंगा नदी का दाया किनारा वन भूमि	जंगल–झाडी रेतीला	गंगा नदी का दाया किनारा वन भूमि	
	कक्ष संख्या–2	–	7.30	गंगा नदी का दाया किनारा वन भूमि	जंगल–झाडी रेतीला	गंगा नदी का दाया किनारा वन भूमि	
खड़कमाफ	4,33,40,64,84,109,180, 181,258,291,303,305,328, 351,410,430,433,431, 437,440	23 मि0	15.1000	कृषि/आ0/ सिंलिंग/ बंजर	कृषि/आ0/ सिंलिंग/ बंजर	स0भू0 व श्रेणी–4 अ.श्रेणी–5	
	159, 303	24 मि0	0.2100	कृषि	कृषि	स0भू0	
	50	25 मि0	0.2000	कृषि	कृषि	स0भू0	
	440	26 मि0	0.0300	बंजर	कृषि/आ0	श्रेणी–5	
	439	27 मि0	0.3100	बंजर	कृषि/आ0 /पटटेदार	श्रेणी–5	
	440	28 मि0	0.2200	बंजर	कृषि/आ0 /पटटेदार	श्रेणी–5	
	440	29 मि0	0.2900	बंजर	कृषि/आ0 /पटटेदार	श्रेणी–5	
	440	31 मि0	0.2800	बंजर	बंजर	श्रेणी–5	
	443	34,35,36	0.7600	गंगा	खाली	श्रेणी–6–1	
	440	38 मि0	0.0600	बंजर	कृषि	श्रेणी–5	
	251	39 मि0	0.1100	कृषि/आ0	कृषि/आ0	स0भू0	
	29,191	40 मि0	0.1600	कृषि/आ0	कृषि/आ0	स0भू0	
	49	46 मि0	0.0950	कृषि	कृषि	स0भू0	
	441	64 मि0	0.0600	नाला	नाला	श्रेणी–6(1)	
	442	101 मि0	0.0450	गूल	गूल	श्रेणी–6(1)	
	31,409	105 मि0	0.3000	कृषि	कृषि	स0भू0	
	3,34,72,160,186,192,302, 320	106 मि0	0.7500	कृषि	कृषि	स0भू0	
	34,72,160,245	107 मि0	0.1000	कृषि	कृषि	स0भू0	
	34,41,42	108 मि0	0.2000	कृषि	कृषि/सड़क	स0भू0	

	34,72,160	109 मि0	0.0030	कृषि	कृषि/सड़क	स0भू0	
	108 ,419	111 मि0	0.2500	कृषि	कृषि/सड़क	स0भू0	
	76, 122 , 186 ,245	112 मि0	0.1800	कृषि	कृषि	स0भू0	
	5,442	113 मि0	0.0400	कृषि/गूल	कृषि/गूल	स0भू0 श्रेणी–6–1	
	353, 250 , 318	114 मि0	0.1100	कृषि	कृषि	स0भू0	
	303	122 मि0	0.2700	कृषि	कृषि	स0भू0	
	19 , 417 , 416 , 369	123 मि0	0.5820	कृषि	कृषि	स0भू0	
	167,306, 183	124 मि0	0.8720	कृषि	कृषि	स0भू0	
	348, 256,238	127 मि0	0.1490	कृषि	कृषि	स0भू0	
	174 ,114	128 मि0	0.3710	कृषि	कृषि	स0भू0	
	48,108,73,348	129 मि0	0.7200	कृषि	कृषि	स0भू0	
	440	131 मि0	1.3500	बंजर	बंजर/पट्टेदार/वन/स्कूल	श्रेणी–5–3 (ड.)	
	438	138, 139, 140 मि0	3.0400	वन विभाग	वन/स्कूल	श्रेणी–5	
	445	22/141	0.3040	सड़क खाम	सड़क	श्रेणी–6(2)	
गौहरीमाफी	170, 108, 180, 190	158	0.0205	कृषि		स0भू0	
	46, 338	159,60	0.012	गूल	रास्ता, गूल	श्रेणी–6	
	8, 22, 46, 67, 213, 308, 338, 360, 378, 409	162	0.768	कृषि	कृषि	स0भू0	
	125, 486	163	0.280	कृषि, वन सरकारी	कृषि, वन	स0भू0 श्रेणी–5	
	125, 227, 420, 486	165	0.373	कृषि, वन सरकारी	कृषि, वन	स0भू0 श्रेणी–5	
	213, 486	166	0.016	कृषि, वन सरकारी	कृषि, वन	स0भू0 श्रेणी–5	
	483, 213, 486	169	0.440	कृषि, वन सरकारी	कृषि, वन सीलिंग	स0भू0 श्रेणी–5 श्रेणी–4	
	172, 378, 483	180	0.124	कृषि, सीलिंग	कृषि, सीलिंग	स0भू0 श्रेणी–4	
	483	181	0.276	कृषि, सीलिंग	कृषि, सीलिंग	सीलिंग	
	491, 378, 16, 315, 406, 460, 468, 470, 483	250	1.176	कृषि, नदी	कृषि, नदी	स0भू0 श्रेणी–6(1)	
	132, 155, 378	251	1.386	कृषि	कृषि	स0भू0	
	486	252	0.070	वन सरकारी	वन	श्रेणी–5	
	378, 486	253	0.023	कृषि, वन	वन	श्रेणी–5	
	486	254	0.400	वन	वन	श्रेणी–5	
रायवाला	124	487	0.060	कृषि	कृषि	स0भू0	
	124	488	0.060	कृषि	कृषि	स0भू0	
	124	489	0.070	कृषि	कृषि	स0भू0	
	124	490	0.010	कृषि	कृषि	स0भू0	
	124	491	0.250	कृषि भूमि	कृषि	स0भू0	
	124	492	0.007	कृषि भूमि	गूल	स0भू0	
	719 ,291 ,124	493	0.125	कृषि भूमि	कृषि	स0भू0	
	719 ,911 ,909	494, 495	0.210	नदी, आबादी	नदी	स0भू0, श्रेणी–6	
	68, 911, 319, 719, 909	498	0.646	कृषि, नदी, आबादी	कृषि, नदी, आबादी	स0भू0 श्रेणी–6	
	68,319	500	0.200				

	906	503	0.369	बंजर कृषि	कृषि, भवन, बंजर, ग्रा0स0	स0भू0 श्रेणी–5	
	828	502	0.0025	आ0		स0भू0	
	828	504	0.0045			स0भू0	
	906, 291, 911, 828, 748, 910, 912, 916, 67, 20, 687, 914	824	2.334	नदी	नदी	श्रेणी–6	
	904	807	3.954	वन भूमि	वन	श्रेणी–5	
	906, 129, 907	804	3.547	कृषि, बंजर	बंजर	स0भू0,श्रेणी–5	
	906	808	0.140	बंजर	बंजर	श्रेणी–5	
	906, 909	395	1.081	बंजर	नदी, बंजर	श्रेणी–6 व 5	
	96	462	0.166	कृषि, आबादी	कृषि	स0भू0	
	291, 153	463	0.159	कृषि	कृषि	स0भू0	
	829, 291	468	0.433	कृषि	कृषि	स0भू0	
	47	469	0.554	कृषि	कृषि	स0भू0	
	47	470	0.005	कृषि	कृषि	स0भू0	
	837	471	0.151	कृषि	कृषि	स0भू0	
	294, 291	472	0.250	कृषि	कृषि	स0भू0	
	241, 570, 291	473	0.362	कृषि	कृषि	स0भू0	
	241	474	0.100	कृषि	कृषि	स0भू0	
	89	476	0.154	कृषि	कृषि	स0भू0	
	209	477	0.154	कृषि	कृषि	स0भू0	
	440	478	0.110	कृषि	कृषि	स0भू0	
	185	479	0.571	कृषि	कृषि	स0भू0	
	440	480	0.070	कृषि	कृषि	स0भू0	
	440	481	0.200	कृषि	कृषि	स0भू0	
	440	482	0.082	कृषि	कृषि	स0भू0	
	906, 909, 291	483	0.449	कृषि, नाला	नाला	श्रेणी–6	
	906	484	0.101	बंजर	बंजर	श्रेणी–5	
	906, 687	485	0.200	बंजर	बंजर	श्रेणी–5	
	687, 124	486	0.372	कृषि	कृषि	स0भू0	
हरिपुरकलां	1376	556 ख	0.9200	कृषि/ आवासीय	बस्ती (सपेरा बस्ती)	स0भू0	
	1564	531 ख	2.5800	बंजर भूमि	नदी	5–3–ड,	
	436	532 ख	0.1200	आवासीय	आवास	स0भू0	

आज्ञा से,

हरिचन्द्र सेमवाल,

सचिव।

शहरी विकास अनुभाग—03

अधिसूचना

01 जुलाई, 2022 ई0

संख्या 1/46843/IV(3)/2022-57 (सा0)06—उत्तराखण्ड राज्य स्थित नगर पालिका परिषद, लक्सर के वार्ड संख्या—05 लक्सरी सीट के सभासद पद पर निर्वाचित श्रीमती शहराज बेगम के आकस्मिक निधन होने के कारण उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) की धारा 56 के प्राविधानों के क्रम में नगर पालिका परिषद, लक्सर के वार्ड संख्या—05 लक्सरी सीट के सभासद पद को एतद्द्वारा रिक्त घोषित किया जाता है।

आज्ञा से,

विनोद कुमार सुमन,
सचिव (प्रभारी)।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 31 हिन्दी गजट/467—भाग 1—2022 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

[illegible]—उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 30 जुलाई, 2022 ई० (श्रावण 08, 1944 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND NAINITAL

NOTIFICATION

June 20, 2022

No. 184/XIV/82/Admin.A/2003--Ms. Pritu Sharma, 2nd Additional District & Sessions Judge, Nainital is hereby sanctioned Child care leave for 40 days w.e.f. 05.05.2022 to 13.06.2022.

NOTIFICATION

June 22, 2022

No. 186/XIV/9/Admin.A/2008--Shri Chandramani Rai, 3rd Additional District & Sessions Judge, Dehradun is hereby sanctioned medical leave for 08 days w.e.f. 05.06.2022 to 12.06.2022.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection)

NOTIFICATION

June 28, 2022

No. 187/UHC/Admin.A/2022–Hon'ble Shri Justice Vipin Sanghi, Judge, Delhi High Court has assumed charge of Office of the Chief Justice of High Court of Uttarakhand, Nainital on June 28, 2022 at 06:15 P.M. pursuant to the Notification No. K.13032/02/2022-US.I/II Dated 19.06.2022 issued by Government of India, Ministry of Law and Justice, Department of Justice (Appointments Division), Jaisalmer House, 26, Man Singh Road, New Delhi.

Sd/-

NEENA AGGARWAL,

Registrar (Inspection),

For Registrar General.

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

अधिसूचना

08 जून, 2022 ई0

उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (राज्य ग्रिड कोड) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2022

सं. F-9/14(1)/RG/UERC/2022/340 – उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग अधिनियम (2003 का 36) की धारा 86 उप-धारा (1) के खंड (h) के साथ पठित धारा 181 के खंड (zp) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (राज्य ग्रिड कोड) विनियम, 2016 (मुख्य विनियम) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात:

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और निर्वचन:

(1) इन विनियमों का नाम उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (राज्य ग्रिड कोड) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2022 होगा।

(2) ये विनियम इनके गज़ट में अधिसूचित होने की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. मुख्य विनियम के विनियम 6.2 का संशोधन:

मुख्य विनियम के विनियम 6.2 के उप-विनियम (22) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा;

"राज्य के सभी घटकों द्वारा सभी संभावित प्रयास करके यह सुनिश्चित करेंगे कि ग्रिड वोल्टेज सदैव निम्नलिखित प्रचालक रेंज के भीतर बनी रहे:"

वोल्टेज – (kV rms)		
नामिक	अधिकतम	न्यूनतम
765	800	728
400	420	380
220	245	198
132	145	122
66	72	60
33	36	30

3. मुख्य विनियम के विनियम 7.5 का संशोधनः

(1) मुख्य विनियम के विनियम 7.5 के उप-विनियम (3) में "10 बजे पूर्वाह्न" शब्दों के स्थान पर, "6 बजे पूर्वाह्न" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(2) मुख्य विनियम के विनियम 7.5 के उप-विनियम (4) में "11 बजे पूर्वाह्न" शब्दों के स्थान पर, "8 बजे पूर्वाह्न" शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(3) मुख्य विनियम के विनियम 7.5 के उप-विनियम (17) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा।

"किसी इकाई के बलपूर्वक आउटेज" के मामले में, राज्य भार पारेषण केंद्र संशोधित घोषित क्षमता के आधार पर अनुसूचियों को संशोधित करेगा। संशोधित घोषित क्षमता और संशोधित अनुसूचियाँ, ऑड टाइम ब्लॉकों में किए गए किसी संशोधन हेतु सातवें टाइम ब्लॉक से और ईवन टाइम ब्लॉकों में किए गए किसी संशोधन हेतु आठवें टाइम ब्लॉक से प्रभावी होंगे, इसकी गणना उस टाइम ब्लॉक को सर्वप्रथम रखते हुए की जाएगी जिसमें राज्यान्तर्गत जनरेटिंग स्टेशन द्वारा संशोधन सुझाया गया है।

नोट: इस उप-विनियम मे उल्लेखित ऑड टाइम ब्लॉक 00:00 से 00:15, 00:30 से 00:45, 01:00 से 01:15 और इससे आगे है । इस उप-विनियम मे उल्लेखित ईवन टाइम ब्लॉक 00:15 से 00:30, 00:45 से 01:00, 01:15 से 01:30 और इससे आगे है ।

उदाहरण:

यदि दिवस डी के टाइम ब्लॉक 17.00 से 17.15 (ऑड टाइम ब्लॉक) में अनुसूची या घोषित क्षमता में संशोधन हेतु निवेदन किया गया है, तो यह दिवस डी के टाइम ब्लॉक 18.30 से 18.45 (जिस टाइम ब्लॉक मे संशोधन हेतु निवेदन किया गया है उससे सातवाँ टाइम ब्लॉक) से प्रभावी होगा। इसी प्रकार यदि दिवस डी के टाइम ब्लॉक 17.15 से 17.30 (ईवन टाइम ब्लॉक) में अनुसूची या घोषित क्षमता में संशोधन हेतु निवेदन किया गया है तो यह दिवस डी के टाइम ब्लॉक 19.00 से 19.15 (जिस टाइम ब्लॉक मे संशोधन हेतु निवेदन किया गया है उससे आठवाँ टाइम ब्लॉक) से प्रभावी होगा।"

(4) मुख्य विनियम के विनियम 7.5 का उप-विनियम (18) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"यदि राज्य पारेषण कंपनी अथवा राज्यान्तर्गत पारेषण में संलग्न अन्य पारेषण लाइसेंसधारी (जो राज्य भार पारेषण केंद्र द्वारा प्रमाणित हो) के स्वामित्व वाली पारेषण प्रणाली, सम्बद्ध स्विचयार्ड और सब-स्टेशनों में किसी बाध्यता, आउटेज, विफलता या सीमितता के कारण होने वाली ऊर्जा की निकासी में रुकावट होने से उत्पादन में कमी करना आवश्यक हो जाए तो राज्य भार पारेषण केंद्र अनुसूचियों में संशोधन करेगा जो कि ऑड टाइम ब्लॉक में किए गए किसी संशोधन के लिए सातवें टाइम ब्लॉक से और किसी ईवन टाइम ब्लॉक में किए गए संशोधन के लिए आठवें टाइम ब्लॉक से प्रभावी होगा, इसकी गणना उस टाइम ब्लॉक को सर्वप्रथम रखते हुए की जाएगी जिसमें ऊर्जा की निकासी में रुकावट हुई है। साथ ही, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे/सातवें टाइम ब्लॉक के दौरान, जैसी भी स्थिति हो, राज्यान्तर्गत जनरेटिंग स्टेशन के अनुसूचित उत्पादन को संशोधित कर वास्तविक उत्पादन के बराबर कर दिया जाएगा और लाभार्थियों की अनुसूचित निकासी को संशोधित कर उनकी वास्तविक निकासी के बराबर कर दिया जाएगा।"

(5) मुख्य विनियम के विनियम 7.5 के उप-विनियम (20) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"दिन की शेष अवधि हेतु राज्यान्तर्गत जनरेटिंग स्टेशन जिसका द्वि-भागीय शुल्क, क्षमता प्रभार और ऊर्जा प्रभार के साथ है द्वारा घोषित क्षमता और लाभार्थी (यों) द्वारा की गयी मांग के संशोधन की अनुमति भी मान्य है जो कि अग्रिम नोटिस दिए जाने पर प्रदान की जाएगी। ऐसे मामलों में संशोधित अनुसूचियाँ/घोषित क्षमता ऑड

टाइम ब्लॉक में किए गए किसी संशोधन के लिए सातवें टाइम ब्लॉक से और किसी ईवन टाइम ब्लॉक में किए गए संशोधन के लिए आठवें टाइम ब्लॉक से प्रभावी होंगे, इसकी गणना उस टाइम ब्लॉक को सर्वप्रथम रखते हुए की जाएगी जिसमें संशोधन हेतु निवेदन राज्य भार पारेषण केंद्र में प्राप्त हुआ होगा ।"

(6) मुख्य विनियम के विनियम 7.5 के उप-विनियम (21) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"इस विनियम के उप-विनियम (20) में समाहित किसी बात के होते हुए भी, दीर्घावधि और मध्यावधि संविदाओं वाले ऐसे स्टेशनों जिनका द्विभागीय शुल्क, क्षमता प्रभार और ऊर्जा प्रभार पर आधारित है की किसी यूनिट के बलपूर्वक आउटेज होने की स्थिति मे राज्य भार पारेषण केंद्र द्वारा अनुसूची में संशोधन उसकी संशोधित घोषित क्षमता के आधार पर किया जाएगा। संशोधित घोषित क्षमता और संशोधित अनुसूचियाँ ऑड टाइम ब्लॉक में किए गए किसी संशोधन के लिए सातवें टाइम ब्लॉक से और किसी ईवन टाइम ब्लॉक में किए गए संशोधन के लिए आठवें टाइम ब्लॉक से प्रभावी होंगे, इसकी गणना उस टाइम ब्लॉक को सर्वप्रथम रखते हुए की जाएगी जिसमें संशोधन की सलाह राज्यान्तर्गत जनरेटिंग स्टेशन द्वारा प्रदान की गई है ।"

(7) मुख्य विनियम के विनियम 7.5 के उप-विनियम (22) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"इस विनियम के उप-विनियम (20) में समाहित किसी बात के होते हुए भी, किसी स्थिति मे जनरेटिंग स्टेशन (जिसकी 30 MW से अधिक उत्पादक क्षमता हो) जो लघु अवधि द्विपक्षीय लेन-देन (ऊर्जा विनिमय के माध्यम से समूहिक लेन-देन को छोड़ कर) से ऊर्जा विक्रय कर रहा हो, की इकाई के बलपूर्वक आउटेज होने पर, उत्पादक या विद्युत व्यापारी या कोई अन्य एजेन्सी जो उत्पादक स्टेशन की इकाई से विद्युत का विक्रय कर रही हो वह इकाई की आउटेज के साथ अनुसूची के संशोधन की मांग और इकाई की बहाली के अनुमानित समय की सूचना तुरंत राज्य भार पारेषण केंद्र को प्रदान करेंगे। इस इकाई के लाभार्थियों व इस से ऊर्जा का क्रय और विक्रय कर रहे व्यक्तियों की अनुसूची को तदनुसार संशोधित किया जाएगा। संशोधित अनुसूचियाँ ऑड टाइम ब्लॉक में किए गए किसी संशोधन के लिए सातवें टाइम ब्लॉक से और किसी ईवन टाइम ब्लॉक में किए गए संशोधन के लिए आठवें टाइम ब्लॉक से प्रभावी होंगी, इसकी गणना उस टाइम ब्लॉक को सर्वप्रथम रखते हुए की जाएगी जिसमें बलपूर्वक आउटेज घोषित की गयी है। राज्य भार पारेषण केंद्र क्रेता

और विक्रेता को संशोधित अनुसूची की सूचना प्रदान करेगा। मूल अनुसूची इकाई की बहाली के अनुमानित समय से प्रभावी होगी। तथापि, पारेषण प्रभार का भुगतान दो दिन तक मूल अनुसूची के अनुसार किया जाता रहेगा।

परंतु किसी यूनिट की बलपूर्वक आउटेज के पश्चात क्रेता और विक्रेता की अनुसूची में संशोधन केवल तभी किया जाएगा जब किसी लेन-देन विशेष हेतु ऊर्जा के स्रोत को लघु-अवधि उन्मुक्त अभिगमन आवेदन के दौरान इंगित किया गया हो तथा उस उत्पादक स्टेशन की उक्त इकाई बलपूर्वक आउटेज के अधीन हो जाती है"

(8) *मुख्य विनियम के विनियम 7.5 के उप-विनियम (24) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:*

"यदि किसी समय राज्य भार पारेषण केंद्र को यह लगता है कि प्रणाली के बेहतर प्रचालन हेतु अनुसूचियों में संशोधन की आवश्यकता है तो वह स्वयं ही ऐसा कर सकता है और ऐसी स्थिति में संशोधित अनुसूचियाँ ऑड टाइम ब्लॉक में किए गए किसी संशोधन के लिए सातवें टाइम ब्लॉक से और किसी ईवन टाइम ब्लॉक में किए गए संशोधन के लिए आठवें टाइम ब्लॉक से प्रभावी होंगी, इसकी गणना उस टाइम ब्लॉक को सर्वप्रथम रखते हुए की जाएगी जिसमें राज्य भार पारेषण केंद्र द्वारा संशोधित अनुसूची जारी की गयी है।"

(9) *मुख्य विनियम के विनियम 7.5 के उप-विनियम (27)(c) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:*

"वायु और सौर ऊर्जा उत्पादक (समूहिक लेन-देन को छोड़ कर) जो राज्य के घटक हैं, जैसी भी स्थिति हो के द्वारा अनुसूचियों में संशोधन *राज्य भार पारेषण केंद्र* को अग्रिम नोटिस दे कर किया जा सकेगा। ऐसे संशोधन *ऑड* टाइम ब्लॉक में किए गए किसी संशोधन के लिए सातवें टाइम ब्लॉक से और किसी ईवन टाइम ब्लॉक में किए गए संशोधन के लिए आठवें टाइम ब्लॉक से प्रभावी होंगे, इसकी गणना उस टाइम ब्लॉक को सर्वप्रथम रखते हुए की जाएगी जिसमें नोटिस दिया गया था। डेढ़ घंटे के एक टाइम स्लॉट में एक संशोधन किया जा सकेगा। टाइम स्लॉट किसी विशेष दिन में 00.00 बजे से आरंभ होगा और अधिकतम 16 संशोधन दिन भर के दौरान किए जा सकेंगे।"

आयोग के आदेश से,

नीरज सती,

सचिव,

उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग।

NOTIFICATION

June 08, 2022

Uttarakhand Electricity Regulatory Commission (State Grid Code) (First Amendment) Regulations, 2022

No. F-9/14(i)/RG/UERC/2022/340- In exercise of the powers conferred by clause (zp) of Section 181 read with clause (h) of sub-section (1) of Section 86 of the Act (36 of 2003), the Uttarakhand Electricity Regulatory Commission hereby makes the following amendments in Uttarakhand Electricity Regulatory Commission (State Grid Code) Regulations, 2016 (Principal Regulations), namely:

1. **Short Title, Commencement and Interpretation:**

(1) These Regulations may be called Uttarakhand Electricity Regulatory Commission (State Grid Code) (First Amendment) Regulations, 2022.

(2) These Regulations shall come into force from the date of gazette notification.

2. **Amendment of Regulation 6.2 of the Principal Regulation:**

Sub-regulation (22) of Regulation 6.2 of the Principal Regulations shall be substituted by the following:

"All State constituents shall make all possible efforts to ensure that the Grid Voltage always remains within the following operating range:"

Voltage - (kV rms)		
Nominal	*Maximum*	*Minimum*
765	*800*	*728*
400	*420*	*380*
220	*245*	*198*
132	*145*	*122*
66	*72*	*60*
33	*36*	*30*

3. **Amendment of Regulation 7.5 of the Principal Regulation:**

(1) In Sub-regulation (3) of Regulation 7.5 of the Principal Regulations, the words "10 AM" shall be substituted by the words "6 AM".

(2) In Sub-regulation (4) of Regulation 7.5 of the Principal Regulations, the words "11 AM" shall be substituted by the words "8 AM".

(3) Sub-regulation (17) of the Regulation 7.5 of the Principal Regulations shall be substituted by the following:

"In case of forced outage of a unit, the SLDC shall revise the schedules on the basis of revised declared capability. The revised declared capability and the revised schedules shall become effective from the 7th time block for any revision made in odd time blocks and from the 8th time block for any revision made in even time blocks, counting the time block in which the revision is advised by the IaSGS to be the first one.

Note: Odd Time blocks referred in this Sub-regulation, are the Time blocks 00:00 to 00:15, 00:30 to 00:45, 01:00 to 01:15 and so on. Even Time blocks referred in this clause, are the Time blocks 00:15 to 00:30, 00:45: 01:00, and 01:15 to 01:30 and so on.

Illustration:

If a request for revision in schedule or declared capability has been made in Time block 17:00 to 17:15 (odd Time block) of a day D, it shall be effective from Time block 18:30 to 18:45 of the day D (7th Time block from the Time block in which the request for revision was made). Similarly, if a request for revision in schedule or declared capability has been made in Time block 17:15 to 17:30 (even Time block) of a day D, it shall be effective from Time block 19:00 to 19:15 of the day (D) (8th Time block from the Time block in which request of revision was made)."

(4) Sub-regulation (18) of the Regulation 7.5 of the Principal Regulations shall be substituted by the following:

"In the event of bottleneck in evacuation of power due to any constraint, outage, failure or limitation in the transmission system, associated switchyard and sub- stations owned by the State Transmission Utility or any other transmission licensee involved in intra-state transmission (as certified by the SLDC) necessitating reduction in generation, the SLDC shall revise the schedules which shall become effective from the 7th time block for any revision made in odd time blocks and from the 8th time block for any revision made in even time blocks, counting the time block in which the bottleneck in evacuation of power has taken place to be the first one. Also, during the first, second, third, fourth, fifth, Sixth/Seventh, as the case may, time blocks of such an event, the scheduled generation of the IaSGS shall be deemed to have been revised to be equal to actual generation and the scheduled drawals of the beneficiaries shall be deemed to have been revised to be equal to their actual drawals"

(5) Sub-regulation (20) of the Regulation 7.5 of the Principal Regulations shall be substituted by the following:

"Revision of declared capability by the IaSGS having two part tariff with capacity charge and energy charge and requisition by beneficiary (ies) for the remaining period of the day shall also be permitted with advance notice. Revised schedules/declared capability in such cases shall become effective from the 7th time block for any revision made in odd time blocks and from the 8th time block for any revision made in even time blocks, counting the time block in which the request for revision has been received in the SLDC to be the first one."

(6) Sub-regulation (21) of the Regulation 7.5 of the Principal Regulations shall be substituted by the following:

"Notwithstanding anything contained in sub-Regulation (20) of this Regulation, in case of forced outages of a unit, for those stations who have a two part tariff based on capacity charge and energy charge for long term and medium term contracts, the SLDC shall revise the schedule on the basis of revised declared capability. The revised declared capability and the revised schedules shall become effective from the 7th time block for any revision made in odd time blocks and from the 8th time block for any revision made in even time blocks, counting the time block in which the revision is advised by the IaSGS to be the first one."

(7) Sub-regulation (22) of the Regulation 7.5 of the Principal Regulations shall be substituted by the following:

"Notwithstanding anything contained in sub-Regulation (20) of this Regulation, in case of forced outage of a unit of a generating station (having generating capacity of more than 30MW) and selling power under Short Term bilateral transaction (excluding collective transactions through power exchange), the generator or electricity trader or any other agency selling power from the unit of the generating station shall immediately intimate the outage of the unit along with the requisition for revision of schedule and estimated time of restoration of the unit, to SLDC .The schedule of beneficiaries, sellers and buyers of power from this generating unit shall be revised accordingly. The revised schedules shall become effective from the 7th time block for any revision made in odd time blocks and from the 8th time block for any revision made in even time blocks, counting the time block in which the forced outage is declared to be the first one. The SLDC shall inform the revised schedule to the seller and the buyer. The original schedule shall become effective from the estimated time of

restoration of the unit. However, the transmission charges as per original schedule shall continue to be paid for two days.

Provided that the schedule of the buyers and sellers shall be revised after forced outage of a unit, only if the source of power for a particular transaction has clearly been indicated during short- term open access application and the said unit of that generating station goes under forced outage."

(8) Sub-regulation (24) of the Regulation 7.5 of the Principal Regulations shall be substituted by the following:

"If, at any point of time, the SLDC observes that there is need for revision of the schedules in the interest of better system operation, it may do so on its own, and in such cases, the revised schedules shall become effective from the 7th time block for any revision made in odd time blocks and from the 8th time block for any revision made in even time blocks, counting the time block in which the revised schedule is issued by the SLDC to be the first one."

(9) Sub-regulation (27)(c) of the Regulation 7.5 of the Principal Regulations shall be substituted by the following:

"The schedule by wind and solar generators which are State constituents (excluding collective transactions) may be revised by giving advance notice to the SLDC, as the case may be. Such revisions shall be effective from 7th time block for any revision made in odd time blocks and from the 8th time block for any revision made in even time blocks, the first being the time-block in which notice was given. There may be one revision for each time slot of one and half hours starting from 00:00 hours of a particular day subject to maximum of 16 revisions during the day."

By Order of the Commission,

NEERAJ SATI,

Secretary,

Uttarakhand Electricity Regulatory Commission.

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

अधिसूचना

12 मई, 2022 ई0

सं0 F-9(32)(i)/RG/UERC/2022/213: विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61 सपठित धारा 181 के अधीन प्रदत्त शक्तियों और टैरिफ नीति, 2016 के पैरा 5.3 के अनुसार और इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय शुल्क के अवधारण हेतु निबंधन और शर्तें) विनियम, 2021 (मुख्य विनियम) में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन प्रस्तावित करता है, अर्थात् :–

1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

(1) इन विनियमों का नाम उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय शुल्क के अवधारण हेतु निबंधन और शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2022 होगा।

(2) ये विनियम सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2 मुख्य विनियम के विनियम 2 (2) में संशोधनः

मुख्य विनियम के विनियम 2 के उप–विनियम (2)(a) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगाः अर्थात् :–

उत्पादक स्टेशन और पारेषण प्रणाली जिनका शुल्क केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिस्पर्धात्मक बोली दिशा निर्देशों के अनुसार पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से ज्ञात किया गया है और अधिनियम की धारा 63 के अधीन आयोग द्वारा अंगीकृत किया गया है।

3 मुख्य विनियम के विनियम 58 में संशोधनः

मुख्य विनियम के विनियम 58(1) में निम्नलिखित परंतुक जोड़ा गया हैः

अर्थात् :–

बशर्ते कि सभी नई राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली जिनकी लागत एक प्रारंभिक सीमा से अधिक हो और जो परिशिष्ट–VI में निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करती हां वह टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से विकसित की जाएगी।

4 मुख्य विनियम में परिशिष्ट—VI को निम्नानुसार जोड़ा गया है: अर्थात्:-

परिशिष्ट—VI

(टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से विकसित की जाने वाली राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली के लिए प्रारंभिक सीमा)

[विनियम 58(1) के परन्तुक का संदर्भ लें]

(1) आयोग द्वारा राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली को टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धा बोली के माध्यम से विकसित किये जाने हेतु प्रारंभिक सीमा के निर्धारण हेतु परामर्श पत्र पर प्राप्त सुझावों को संज्ञान में लेते हुए एतद्द्वारा प्रारंभिक सीमा रू0 100 करोड़ (रू0 सौ करोड़) निर्धारित की गयी है, सभी नई राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली (नई एवं संवर्धन) जिनकी लागत रू0 100 करोड़ (रू0 सौ करोड़) या उससे अधिक होगी उसको राज्य सरकार/राज्य पारेषण इकाई द्वारा भारत सरकार की गाईड लाईन के अनुसार टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धा बोली के माध्यम से विकसित किया जाएगा।

(2) यह प्रारंभिक सीमा उन सभी नई राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली (परियोजनाओं) के लिए लागू होगी जिनके लिए आयोग द्वारा अभी तक अनुमोदन नहीं दिया गया है।

(3) संपूर्ण राज्यान्तर्गत स्वतंत्र पारेषण प्रणाली को किसी भी अपस्ट्रीम/डाउनस्ट्रीम परियोजना सहित टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से परियोजना के विकास के लिए बोलियां आमंत्रित करने के लिए एकल परियोजना के रूप में डिजाईन किया जाएगा।

(4) यदि राज्य सरकार/राज्य पारेषण इकाई द्वारा किसी राज्यान्तर्गत पारेषण प्रणाली जिसकी लागत प्रारंभिक सीमा से अधिक है उसको कुछ विशिष्ट कारणों जैसे कि परियोजना महत्वपूर्ण प्रकृति की है या उसके स्वामित्व या इंटरफेस आधारित कोई मुददा है ऐसी परियोजना को कॉस्ट प्लस दृष्टिकोण के माध्यम से स्वयं करने कि स्थिति में, राज्य सरकार/राज्य पारेषण इकाई को ऐसी किसी भी परियोजना हेतु आयोग से पुर्वानुमोदन प्राप्त करना होगा।

आयोग के आदेश से,

नीरज सती,

सचिव,

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 31 हिन्दी गजट/467—भाग 1—क—2022 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 30 जुलाई, 2022 ई0 (श्रावण 08, 1944 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

शैक्षिक अभिलेखों में मेरा नाम कुलदीप अंकित है, जबकि मेरा प्रचलित नाम कुलदीप सिंह टण्डवाल है। भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना पहचाना जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

कुलदीप सिंह टण्डवाल पुत्र रामस्वरूप सिंह
निवासी नारायणी वाटिका कालोनी, निकट
बसपा कार्यालय शिवालिक नगर भेल,
रानीपुर तहसील, जिला हरिद्वार।

सूचना

मैने अपना नाम खडक सिह बाफिला से बदलकर प्रमोद सिंह बाफिला (PRAMOD SINGH BAFILA) रख लिया है। भविष्य में मुझे प्रमोद सिह बाफिला (PRAMOD SINGH BAFILA) पुत्र श्री आनन्द सिंह बाफिला के नाम से जाना, पहचाना, पढा, लिखा, सुना जाये।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

प्रमोद सिह बाफिला पुत्र श्री आनन्द सिंह बाफिला
निवासी म.नं. 37 कमदीना, जिला पिथौरागढ़,
उत्तराखण्ड।

कार्यालय नगर पालिका परिषद् रामनगर (नैनीताल)

13 जुलाई, 2021 ई0

पत्रांक–6532/4–स0–स्वा0अनु0/21–22–नगरपालिका अधिनियम १९१६ की धारा-२९८ (घ) एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18 मार्च 2016 के द्वारा बनाये गये अपशिष्ट प्लास्टिक नियम 2016 के अंतर्गत नगरपालिका परिषद्, रामनगर हेतु नगरपालिका अधिनियम १९१६ की धारा 298 झ (घ) के एवं पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 (1986 का 29) की धारा 3, 6 एवं 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18 मार्च 2016 द्वारा बनाये गये प्लास्टिक अपशिष्ट नियम 2016 के अन्तर्गत नगरपालिका परिषद्, रामनगर द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में लागू किये जाने हेतु तैयार किये गए "प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन उप-नियम, 2020" बोर्ड बैठक दिनांक ०६-०३-२०२१ में पारित विशेष प्रस्ताव संख्या-२ के द्वारा सरकारी गजट में प्रकाशन कराया जाना स्वीकार किया गया है।

उत्तरप्रदेश नगरपालिका अधिनियम १९१६ यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड, की धारा-३०१ (२) के प्रयोजनार्थ नगरपालिका रामनगर, "प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन उप-नियम, 2020" का प्रकाशन सरकारी गजट उत्तराखण्ड में किया जाता है।

"प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन उप–नियम, 2020"

अध्याय–1

1. संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीख :–

(i) ये उप-नियम नगरपालिका परिषद्, रामनगर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन उप-नियम, 2020 कहलायेंगे।

(ii) ये उप-नियम नगरपालिका परिषद्, रामनगर के सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

(iii) ये उपनियम केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित निर्यात के आदेश के लिए अपने उत्पाद के विनिर्माण के लिए निर्यातोन्मुख ईकाइयों या विशेष आर्थिक जोन की ईकाइयों पर लागू नही होगा, परन्तु यह छूट गुटखा, तम्बाकू और पान मसाला के पैकेजिंग में लगी ईकाइयों और अधिशेष या निराकृत, अवशेष और इसी प्रकार के अन्य उत्पादों पर भी लागू नही होगी।

2. ये उप-नियम नगर नगरपालिका परिषद्, रामनगर की अधिकारिता के भीतर उपलब्ध प्रत्येक अपशिष्ट उत्पादक, विनिर्माता, उत्पादनकर्ता, आयातक ब्रांड के मालिक तथा उपयोगकर्ता पर लागू होगी।

3. परिभाषायें :– इन उपविधियों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) अधिनियम से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) अभिप्रेत है।

(ख) ब्रांड मालिक ऐसे व्यक्ति या कम्पनी से अभिप्रेत है जो किसी पंजीकृत ब्रांड लेबल के तहत कोई वस्तु बेचता है।

(ग) कैरी बैग्स से प्लास्टिक सामग्री या कम्पोस्ट योज्य प्लास्टिक सामग्री से बनाया, ले जाने या वस्तुयें तैयार करने के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त बैग अभिप्रेत है जिसमें स्वतः ले जाने की विशिष्टता है किन्तु इसमें ऐसा बैग सम्मिलित नही है जो ऐसी पैकेजिंग गठित करता है या अभिन्न भाग बनता है जिसमें माल को उपयोग के पूर्व सील किया जाता है।

(घ) "वस्तु से" ऐसा मूर्त मद अभिप्रेत है जिसे खरीदा या बेचा जा सके और इसमें सभी पण्य माल या सौदा सम्मिलित हैं।

(ड) "कम्पोस्ट योज्य प्लास्टिक से ऐसी प्लास्टिक अभिप्रेत है जो जैविकीय प्रक्रियाओं द्वारा विघटनीय होने के दौरान कार्बन-डाई आक्साईड, जल, अकार्बनिक यौगिकों को कम्पोस्ट करती है और अन्य ज्ञात कम्पोस्ट योज्य सामग्रियों के साथ जैव भार की समरूप दर है और जो दृश्य विशेषणीय या विषाक्त अपशिष्ट नही छोड़ती है।

(च) "विघटन" से किसी सामग्री का बहुत छोटे भागों में भौतिक रूपों में भंजन अभिप्रेत है।

(छ) "विस्तारित उत्पादक दायित्व" से इसके जीवन तक उत्पाद के पर्यावरणीय रूप से सुदृढ के लिये उत्पादक का दायित्व अभिप्रेत है।

(ज) "खाद्य पदार्थ" से द्रव, चूर्ण, ठोस या अर्धठोस रूप में खाने के लिए तैयार खाद्य पदार्थ, फास्ट फूड, प्रसंस्कृत या पकाये हुए खाद्य पदार्थ अभिप्रेत है।

(झ) "सुविधा" से प्लास्टिक अपशिष्ट के एकत्रण, भण्डारण, पुनर्चक्रीकरण, प्रसंस्करण और निपटान के लिए उपयोग किये जाने वाला परिसर अभिप्रेत है।

(ञ) "आयातकर्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो आयात करता है या करने का इरादा रखता है और जिसके पास आयात-निर्यात करने का लाईसेन्स है जब तक उसे अन्यथा विशेष रूप से छूट नही दी गई हो।

(ट) "संस्थागत अपशिष्ट जनित " से केन्द्रीय सरकारी विभागों, राज्य सरकारी विभाग, पब्लिक या प्राइवेट सैक्टर कंपनिया , अस्पताल, स्कूल, महाविद्यालय , विश्वविद्यालय या शिक्षा के अन्य स्तर, संगठन, अकादमी, होटल, रेस्तरा, मॉल और शौपिंग परिसरों द्वारा अधिकृत भवन जैसे संस्थागत भवनों का अधिभोगी अभिप्रेत है और सम्मिलित है।

(ठ) "विनिर्माता" से उत्पादक द्वारा कच्ची सामग्री के रूप में प्रयुक्त की जाने वाली प्लास्टिक की कच्ची सामग्री के उत्पादन में लगा व्यक्ति या ईकाई या अभिकरण अभिप्रेत है जो सम्मिलित है।

(ड) "बहुस्तरीय पैकेजिंग" के लिए प्रयुक्त या प्रयुक्त की जाने वाली कोई सामग्री अभिप्रेत है और कागज, कार्ड बोर्ड बहुलक्ष्य सामग्रियां , धात्विक सतहों या एल्युमिनियम पन्नियां जो या तो लेमिनेट के रूप में या सह-बहिर्वेधन रूप में जैसे सामग्री के एक से अधिक संतह का संयोजन मुख्य संघटकों के रूप में प्लास्टिक का कम से कम एक स्तर रखती है।

(ढ) "प्लास्टिक" से ऐसी सामग्री अभिप्रेत है जिसमें पोलीइथाइलिनटेरेफथलेट , उच्च घनत्व पोलीइथाइलिनविनाइल, कम घनत्व पोलीइथाइलिन, पोली प्रोपीलीन, पोलीस्टाइरिन रेसिन, एकरीलीनोट्रायल-बूटाडाइन-स्टाइरिन जैसी वह सामग्री, पोलीफिनाइलीन आक्साइड, पोलीकार्बोनेट, पोलीबूटीलीन टेरेफथलेट जैसी उच्च पालिमर के आवश्यक तत्व अंतर्विष्ट हों।

(ण) "प्लास्टिक चादर " से प्लास्टिक चादर अभिप्रेत है अर्थात प्लास्टिक से बनी चद्दर।

(त) "प्लास्टिक प्लास्टिक अपशिष्ट" से ऐसे किसी प्लास्टिक से अभिप्रेत है जिसे उपयोग के पश्चात या इच्छित उपयोग के पश्चात फैंक दिया जाता है।

(थ) "उत्पादक" से केरीबैग या बहुस्तरीय पैकेजिंग या प्लास्टिक सीट या जैसे के विनिर्माण या आयात में लगा व्यक्ति अभिप्रेत है और प्लास्टिक सीट या जैसे या प्लास्टिक सीट के बनाये गये कवर या वस्तु की पैकेजिंग या ढकने के लिए बहुस्तरीय पैकेजिंग का उपयोग कर रहे उद्योग या व्यक्ति सम्मिलित है।

(द) "पुनर्चक्रीकरण" नये उत्पाद उत्पादित करने के लिए पृथक्कृत प्लास्टिक अपशिष्ट को नये उत्पाद या कच्ची सामग्री में रूपान्तरित करने की प्रक्रिया से अभिप्रेत है।

(ध) "रजिस्ट्रीकरण" से यथास्थिति राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड या सम्बद्ध प्रदूषण नियन्त्रण समिति में रजिस्ट्रीकृत अभिप्रेत है।

(न) "पथ विक्रेता" का वही अर्थ होगा जो पथ विक्रेता (आजीविका का संरक्षण और पथ विक्रय का विनियमन) अधिनियम 2014 (2014 का 7) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (1) में है।

(प) "शहरी स्थानीय निकाय" से नगर पालिका परिषद् ,रामनगर अभिप्रेत है सम्मिलित है।

(फ) "अप्रयुक्त प्लास्टिक" से ऐसी प्लास्टिक सामग्री अभिप्रेत है जिसका पहले उपयोग नही किया गया। अपशिष्ट के साथ भी सम्मिश्रित नही किया गया है।

(ब) अपशिष्ट जनित से प्रत्येक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या संस्था, भारतीय रेल, विमान पत्तन, बन्दरगाह और रक्षा कैन्टोन्मेंट, जो अपशिष्ट प्लास्टिक पैदा करते हैं सहित रिहायसी और वाणिज्यिक स्थापना अभिप्रेत है और सम्मिलित है।

(भ) अपशिष्ट प्रबन्धन से प्लास्टिक अपशिष्ट का पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित पद्धति से एकत्रण, भण्डारण, परिवहन, पुनः उपयोग, पुनः प्राप्ति, पुनर्चक्रण, कम्पोस्टिंग या व्ययन अभिप्रेत है।

(म) अपशिष्ट चुनने वाले से पुनर्चक्रण योग्य प्लास्टिक अपशिष्ट के चुनने में स्वैच्छिक रूप से लगे या प्राधिकृत किये गये व्यक्ति या एजेन्सियां, व्यक्तियों का समूह अभिप्रेत है।

(य) थरमोस्टेट प्लास्टिक, जब ताप या अन्य साधन से उत्पादित तात्विक रूप से अगलनीय या अघुलनीय उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है थरमोस्टेट एक प्रकार का प्लास्टिक है जो अपने संगठित रसायनिक संरचना के कारण रिमोड या रिसाइकिल नही किया जा सकता।

अध्याय-2

प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबन्धन-

4- नगर पालिका परिषद् ,रामनगर द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबन्धन निम्नवत किया जायेगा-

(क) प्लास्टिक कैरी बैग से अन्यथा प्लास्टिक- अपशिष्ट जिसका रिसाइकिल किया जा सकता हो, निबन्धित प्लास्टिक अपशिष्ट रिसाइकिल के साथ चेनलाईज करेगी और भारतीय मानक आई0एस0 14534 : 1998 प्लास्टिक रिसाइकिलिंग के लिए मार्गदर्शन समय-समय पर यथा संशोधन के अनुरूप संपुष्ट करेगी।

(ख) शहरी स्थानीय निकाय प्लास्टिक अपशिष्ट (प्राथमिक रूप से प्लास्टिक अपशिष्ट जिसका आगे रिसाइकिल नही किया जा सकता) सड़क निर्माण या ऊर्जा प्राप्ति अथवा अपशिष्ट से तेल इत्यादि के लिए उपयोग हेतु प्रोत्साहित करेगी। केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड या राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट प्रदूषण नियन्त्रण मानको के अनुसार इन तकनीकियों का पालन किया जायेगा।

5- शर्तों का पूरा किया जाना- नगर पालिका परिषद्,रामनगर का विचार है कि प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग गंम्भीर पर्यावरणीय समास्याये उत्पन्न कर रहा है जिससे मानव एवं जीव जन्तुओं का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। अतः यह आवश्यक हो गया है कि नगर पालिका परिषद् , रामनगर की सम्पूर्ण अधिकारिता में प्लास्टिक कैरी बैग विनिर्माण, आयात, भण्डारण, परिवहन, विक्रय और उपयोग पर रोक लगाई जाय।

(i) कोई भी व्यक्ति नगर पालिका परिषद्, रामनगर की अधिकारिता में किसी भी प्रकार के प्लास्टिक कैरी बैग (साईज और मोटाई का विचार किये बिना) विनिर्माण आयात, भण्डारण, परिवहन, विक्रय और उपयोग नही करेगा।

(ii) दुकानदार, वेंडर, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, व्यवसायी, हाकर , फेरीवाला सहित कोई भी व्यक्ति किसी भी खाने या न खाने योग्य माल या सामग्रियों के या वितरण के लिए किसी प्रकार के प्लास्टिक कैरी बैग (साईज और मोटाई का विचार किये बिना) विनिर्माण आयात, भण्डारण, परिवहन, विक्रय और उपयोग नही करेगा।

(iii) बायोमेडिकल के लिए प्लास्टिक कैरी बैग, बीजांकुर के लिए उपयोग किया जाने वाला पालीबैग, प्लास्टिक सीट से बना प्लास्टिक सीट या ऐसी ही वस्तु का विनिर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, विक्रय और उपयोग तथा मल्टीलेयर पैकेजिंग निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन होगी। यथा–

1- बायोमेडिकल अपशिष्ट के भण्डारण के उपयोग किया जाने वाला प्लास्टिक कैरी बैग को इस उपविधि के प्राविधानों से छूट प्राप्त होगी तथापि प्लास्टिक कैरी बैग मोटाई में 50 माइक्रोन से कम नही होंगे और बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली में इस सम्बन्ध में किये गये प्राविधानों का भी पूरा पालन किया जाना चाहिए। बायोमेडिकल अपशिष्ट वाला प्लास्टिक कैरी बैगों का निपटारा बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 में किये गये प्रावधानों के अनुपालन में किया जाना चाहिए।

2- रिसाईकिल किये गये प्लास्टिक के बने उत्पादों का उपयोग खाने पीने के लिए तैयार भोज्य पदार्थो के भण्डारण, ले जाने, वितरण या पैकेजिंग के लिए नही किया जायेगा।

3- वर्जिन या रिसाईकिल किये गये प्लास्टिक से बने कैरी बैग पर, उसकी मोटाई पर विचार किये बिना, नगर पालिका परिषद् ,रामनगर की अधिकारिता में रोक लगेगी।

4- राज्य पर्यावरण एवं वन विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बीजांकुर की बृद्वि करने के लिए उपयोग किये गये पालीबैग मोटाई में 50 माइक्रोन से कम न हों और सभी उपयोग किये गये पालीबैगों का पुनः संग्रहण एवं उनके सुरक्षित निपटारें को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

5- निजी नर्सरियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बीजांकुर की बृद्वि के लिए उपयोग किये जाने वाले पालीबैग मोटाई में 50 माइक्रोन से कम न हों प्राईवेट नर्सरियों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वह सर्वाधिक समयवधि तक इन पालीबैगों का दोबारा उपयोग हो।

6- निजी तथा सरकारी नर्सरी यह सुनिश्चित करेगी कि सभी उपयोग किये गये पालीबैगों को एक स्थान पर संग्रह किया जाय तथा उसे नगर पालिका को निर्धारित फीस का भुगतान कर हस्तगत कर सकें।

7- प्लास्टिक सीट या ऐसी ही वस्तु जो मल्टीलेयर किये गये पैकेजिंग तथा वस्तुओं की पैकेजिंग चारैपिंग के लिए उपयोग किये गये प्लास्टिक के बने कवर के अभिन्न भाग न हों उनको छोडकर जहा ऐसे प्लास्टिक सीट की मोटाई उत्पादों की क्रियाशीलता को कम करते हों की मोटाई 50 माइक्रोन से कम नही होगी।

8- विनिर्माता राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से विधि मान्य रजिस्ट्रेशन प्राप्त किये बिना उत्पादक को कच्चे माल के रूप में प्लास्टिक का उपयोग किये जाने हेतु विक्रय या उपलब्ध या व्यवस्था नही करेगा।

9- पाउच के रूप में उपयोग किये जाने वाले प्लास्टिक मैटेरियल का उपयोग गुटखा, तम्बाकू तथा पान मसाले के भण्डारण पैकिंग या विक्रय के लिए नही किया जायेगा।

10- प्लास्टिक मैटेरियल का उपयोग विनाईल ऐसेटेट–मालैक एसिड, बिनाईल क्लोराइड, कोपालिमर सहित किसी भी रूप में नही किया जायेगा।

अध्याय-3

प्लास्टिक शीट/मल्टीलेयर पैकेजिंग का मार्किंग या लेबलिंग-

6 (i) खुदरा विक्रेता या स्ट्रीट वेंडर प्लास्टिक की शीट या मल्टीलेयर पैकेजिंग में वस्तुओं को ग्राहक को नही बेचगे या उपलब्ध करेगे जो इस उप विधि के अधीन यथा विहित रूप में विनिर्मिता और लेबल या मार्क न किया गया हो।

(ii) वस्तुओं को मल्टीलेयर पैकेजिंग या प्लास्टिक शीट, प्लास्टिक शीट से बने कवरों में जो इस उप विधि के अनुसार विनिर्मित या लेबल या मार्क न किये गये हों विक्रय या उपलब्ध करने वाले प्रत्येक खुदरा विक्रेता या स्ट्रीट वेंडर ऐसी फीस भुगतान करने का उत्तरदायी होगा जो उप विधि के अधीन अनुसूची में विनिर्दिष्ट किये गये हों।

(iii) मल्टी लेयर पैकेजिंग पर विनिर्माता का नाम, निबन्धन सं0 मल्टीलेयर पैकेजिंग की दशा में अंग्रेजी में मुद्रित होगा।

अध्याय-4

उत्पादक, रिसाईक्लर और विनिर्माता का निबन्धन

7(i) नियम 5 (ii) में किये गये प्रावधान के अनुसार कोई भी व्यक्ति प्लास्टिक कैरी बैग या रिसाईकिल प्लास्टिक कैरी बैग का विनिर्माण नही करेगा तथापि मल्टीलेयर पैकेजिंग मैटेरियल का विनिर्माण केवल राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से उत्पादन आरम्भ करने के पूर्व एक विधि मान्य रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने के बाद किया जा सकता है।

(ii) प्लास्टिक मैटेरियल, मल्टीलेयर पैकेजिंग के सभी उत्पादक रिसाईकलर एवं विनिर्माता प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 में किये गये प्राविधानों के अनुसार राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड से रजिस्ट्रेशन और नवीकरण प्राप्त करेंगे।

अध्याय-5

प्लास्टिक अपशिष्ट का संग्रहण, पृथक्करण, प्रसंस्करण

8. प्लास्टिक अपशिष्ट का संग्रहण पृथक्करण एवं प्रसंस्करण निम्नवत किया जायेगा-

(क) शहरी स्थानीय निकाय अपने संसाधनों से प्लास्टिक अपशिष्ट के उत्पादन और प्लास्टिक अपशिष्ट पृथक्करण को कम करने हेतु कदम उठायेगी।

(ख) शहरी स्थानीय निकाय प्लास्टिक अपशिष्ट के छितराव को कम करने तथा सेकेन्डरी स्टोरेज डिपो/सामुदायिक डस्टबीन पर अपशिष्ट के पृथक किये गये भण्डारण के लिए कदम उठायेगी प्लास्टिक अपशिष्ट केवल नॉन बायोडिग्रेडेबल या ड्राई वेस्ट बिन में ही एकत्रित किया जायेगा।

(ग) सेकेन्ड्री स्टोरेज पॉइंट/डिपो/ट्रांसपोर्ट स्टेशनो पर शहरी स्थानीय निकाय अपशिष्ट उठाने वालों तथा अन्य सामाजिक आयोजनकर्ताओं को प्लास्टिक गिलास तथा कागजों को रिसाईकिल एवं पुनः उपयोग के लिए प्रोत्साहित करेगी। अनौपचारिक अपशिष्ट उठाने वालों को ड्राई रिसाईक्लेबल अपशिष्ट को संग्रह करने तथा प्राधिकृत रिसाईक्लर्स को उसे बेचने की स्वीकृति भी उनकी जीविका को उपार्जन के लिए सीधे दी जायेगी।

(घ) शहरी स्थानीय निकाय गीला एवं सूखा कूड़े के पृथक्करण के इनसे मैटेरियल के साधन, मैटेरियल रिकवरी सुविधा की स्थापना के माध्यम से पेपर, लोहा, शीशा, ई वेस्ट, पालीथीन, चमडे, जूते, पेट बोटल रवर इत्यादि जैसे ड्राई वेस्ट के भण्डारण एवं छटाई के लिए अलग बीन या भण्डार की व्यवस्था के साथ सुनिश्चित करेगी।

(ड) शहरी स्थानीय निकाय आवश्यकताओ/स्थानीय हालात के अनुसार अन्य प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्ध तकनीकी जैसे- प्लाज्मा पाइरोला द्वारा तकनीकी, बेलिंग प्रेस और रिफ्यूज ड्राईव्ड फ्यूल (आर.डी.एफ.) निर्माण, सीमेंट क्ले तथा प्लास्टिक श्रेडिंग को-प्रोसेसिंग की स्थापना की भी जांच पडताल करेगी।

(च) शहरी स्थानीय निकाय कचरे चुनने वालों की उनका उपयोग एम.आर.एफ. और प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन सुविधा में करके कायापलट की सक्रीय रूप से कार्य करेगी।

(छ) शहरी स्थानीय निकाय अनौपचारिक वेस्ट पिकर्स/कबाडी वाले एवं एस.एच.जी. के लिए स्वास्थ्य के मुद्दों, जीविका तथा आय उत्पादक क्रियाकलापों पर लगातार संवेदना ग्रह, सेशन प्रोग्राम आयोजित करेगी।

(ज) वोकेशनल प्रशिक्षण जैसे पेपर बैग बनाना, कार्टन बैग, सिलाई, कूशन मेकिंग इत्यादि का प्रशिक्षण देने का कार्य भी करेगी।

अध्याय-6

9- मोनिटरिंग क्रिया विधि-

(क) इन उप विधियों के प्रावधानों के सफल क्रियान्वयन हेतु नगर पालिका परिषद् के अधिशासी अधिकारी द्वारा गठित समिति द्वारा की जायेगी। इस निमित्त हेतु इसके सदस्य अधिशासी अधिकारी द्वारा नामित किये जायेंगें।

अध्याय-7

उपयोग कर्ता फीस तथा जुर्माना

10- प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रह, प्रर्वतन और प्रबन्धन के लिए उपयोगकर्ता फीस का लागू होना- शहरी स्थानीय निकाय द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि के अनुसार संग्रहित उपयोगकर्ता फीस का 15 प्रतिशत प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबन्धन के प्रयोजनार्थ प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन खाते में अन्तरित कर दी जायेगी।

11- उल्लंघन पर जुर्माना-

(क) इस उपविधि के आरम्भ की तिथि को और उसके बाद पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा प्लास्टिक कैरी बैग पर प्रकाशन अधिसूचना के अनुसार एक माह तक जन साधारण को जानकारी/चेतावनी दी जा सकेगी। जिसके बाद इस उपविधि का कोई उल्लंघन अनुसूची-1 में यथाविहित जुर्माने से इस उपविधि के भंग के प्रत्येक अवसर पर दण्डनीय होगा।

(ख) यदि कोई दुकानदार या स्ट्रीट वेंडर शहरी स्थानीय निकाय की अधिकारिता में किसी वस्तु को देने के लिए प्लास्टिक कैरी बैग उपलब्ध करते हुए पाया जाता है तो शहरी स्थानीय निकाय प्रत्येक ऐसे अवसर पर अनुसूची-1 में यथा विनिर्दिष्ट जुर्माना अधिरोपित करेगी।

(ग) यदि कोई दुकानदार या स्ट्रीट वेंडर वस्तुओं को प्लास्टिक कैरी बैग या प्लास्टिक के बने मल्टीलेयर पैकेजिंग या प्लास्टिक शीट या कवर में जिसका विनिर्माण लेबल या मार्क उप विधि के अनुसार नही किया गया हो विक्रय या उपलब्ध करता है तो प्रत्येक ऐसे अवसर पर अनुसूची- 1 में यथा विनिर्दिष्ट जुर्माना भुगतान करने का उत्तरदायी होगा।

(घ) नगरपालिका परिषद् अधिनियम के अंतर्गत नगरपालिका परिषद के अधिकारी उपविधियों के प्राविधानों के उल्लघंनकर्ता से स्पॉट पर जुर्माना वसूल करेगे।

12- व्यतिक्रम की दशा में कार्यवाही :-

कोई विनिर्माता, उत्पादक , आयातक, स्टाकिस्ट, होलसेलर, रिटेलर, दुकानदार, स्ट्रीट वेंडर जो जुर्माना नही देगा वह सम्पत्ति कर के बकाये के रूप में शहरी स्थानीय निकाय द्वारा वसूली के लिए उत्तरदायी होगा। बार-बार अपराध करने वालों के विरूद्व नगरपालिका अधिनियम के प्राविधानों/स्थापित नियमों के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।

अध्याय-8

आवेदकर्ता का वार्षिक रिर्टन

13- आवेदन तथा वार्षिक रिटर्न (पी.डब्लू.एम. नियमावली 2016)

(क) प्रत्येक उत्पादक रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण प्रयोजनार्थ, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 के प्राविधानों के अनुसार फार्म-1 में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष एक आवेदन देगा।

(ख) अपशिष्ट (वेस्ट) रीसाइक्लिंग या प्रोसेसिंग करने वाला अथवा प्लास्टिक अपशिष्ट का रिसाईकिल या प्रोसेस का प्रसंस्करण चाहने वाला प्रत्येक व्यक्ति रीसाइक्लिंग यूनिट के रजिस्ट्रेशन अथवा रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण के लिए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली 2016 के प्राविधानों के अनुसार फार्म में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष एक आवेदन देगा।

(ग) उत्पादक द्वारा कच्चा माल के उपयोग किये जाने हेतु शहरी स्थानीय निकाय की अधिकारिता में प्लास्टिक के विनिर्माण में लगा प्रत्येक विनिर्माता रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण के लिए फार्म-III में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष एक आवेदन देगा।

(घ) प्लास्टिक अपशिष्ट के रीसाइक्लिंग एवं प्रोसेसिग में लगा प्रत्येक व्यक्ति फार्म-IV में एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगा तथा प्रत्येक वर्ष 30 जून तक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जानकारी में शहरी स्थानीय निकाय को समर्पित करेगा।

(ड) नगर पालिका परिषद्,रामनगर फार्म-V में वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करेगी और प्रत्येक वर्ष 30 जून तक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जानकारी में निदेशक, शहरी विकास निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून को समर्पित करेगा।

अध्याय-9

स्टॉक होल्डर का उत्तरदायित्व :-

14.1 नगर पालिका परिषद् ,रामनगर का उत्तरदायित्व :-

(क) शहरी स्थानीय निकाय स्वंय के खर्च पर अथवा किसी अन्य सरकारी एजेंसी के माध्यम से एजेंसियों या उत्पादकों को लगाकर प्लास्टिक अपशिष्ट के पृथक्करण, संग्रहण भण्डार परिवहन, प्रोसेगिंस तथा निपटारें के लिए आधारभूत सरंचना विकसित करेगी।

(ख) शहरी स्थानीय निकाय अपशिष्ट प्रबन्धन प्रणाली के समन्वय तथा सहयोजित कृत्यों के पालन के लिए जिम्मेदारी होगी, यथा-

1. प्लास्टिक अपशिष्ट के पृथक्करण, संग्रहण, भण्डारण, परिवहन प्रोसेसिंग तथा निपटारे को सुनिश्चित करना।
2. इस प्रोसेगिंस के दौरान यह सुनिश्चित करना कि पर्यावरण को कोई नुकसान न हो,
3. रिसाईकिलर्स को रिसाईक्लेबल प्लास्टिक अपशिष्ट खण्ड का चैनलाइजेशन सुनिश्चित करना
4. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्गत मार्गदर्शन के अनुसार प्लास्टिक अपशिष्ट के गैर- रिसाईक्लेबल खण्ड के प्रोसेसिंग तथा निपटाव को सुनिश्चित करना।
5. सभी स्टेकहोल्डरों के बीच उनकी जिम्मेदारियों के बारे में जागरुकता पैदा करना।
6. वेस्ट पिकर्स के साथ सिविल सोसाईटी या समूल को शामिल करना।
7. यह सुनिश्चित करना प्लास्टिक को खुले में न जलाया जाय।

(ग) शहरी स्थानीय निकाय स्वंय या किसी एजेंसी को लगाकार प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रहण केन्द्रो की स्थापना, करेगी। जहाँ कोई अपशिष्ट उत्पादक संग्रहण केन्द्र की स्थापना करेगी जहाँ कोई अपशिष्ट उत्पादक या वेस्ट पिकर्स सीधा प्लास्टिक अपशिष्ट को जमा कर सके। यह प्लास्टिक अपशिष्ट के पृथक्करण के स्त्रोत, खुले में जलाने पर रोक इत्यादि की जानकारी फैलाने तथा सवेदन ग्रहण के लिए भी एक स्थान होगा।

(घ) शहरी स्थानीय निकाय अपनी अधिकार क्षेत्र में प्लास्टिक का अत्यधिक उपयोग करके समस्या उत्पन्न करने, पर्यावरण पर प्लास्टिक के अल्पकालीन एंव दीर्घकालीन प्रभाव, प्लास्टिक के बदले गैर प्लास्टिक इत्यादि पर लगातार जागरुकता पैदा कर प्लास्टिक उपयोग को कम करने प्रोत्साहित करेगी और उसके लिए बजट का प्रावधान करेगी।

(ड) जुर्माने के रुप में शहरी स्थानीय निकाय द्वारा संग्रह की गई निधि पृथक खाते में रखी जाएगी और अपनी अधिकारिता के भीतर तर्कसम्बन्धी आधारभूत सरंचना तथा सब तरह से अपशिष्ट प्रबन्धन प्रणाली के घोषणा के लिए उपयोग की जाएगी।

(च) शहरी स्थानीय निकाय प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए प्रणाली स्थापित करने के लिए विनिर्निमाताओं उत्पादकों तथा ब्रांड स्वामियों की सहायता लेगी।

14.2 <u>अपशिष्ट उत्पादक की जिम्मेदारी</u>-

(क) अपशिष्ट उत्पादक निम्नलिखित कार्य होंगे-

(i) प्लास्टिक अपशिष्ट कम तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 (समय -समय यथा संशोधित) के अनुसार स्त्रोत पर ही प्लास्टिक अपशिष्ट को पृथक करना तथा इसे गैर बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट के लिए बने बिन में संग्रह करना।

(ii) प्लास्टिक कूडा-कचरा न फैलाना तथा स्त्रोत पर ही अपशिष्ट पृथक्कृत भण्डारण सुनिश्चित करना एंव रजिस्टर्ड वेस्ट पिकर्स रजिस्टर्ड रिसाईक्लर्स या वेस्ट संग्रहण के लिए शहरी स्थानीय निकाय द्वारा वेस्ट संग्रहकर्ता या प्राधिकृत एजेंसी को हस्तगत कर देना।

(ख) प्लास्टिक अपशिष्ट के सभी संस्थागत उत्पादक ठोस अपशिष्ट नियमावली 2016 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार अपषिश्ट उत्पादित अपशिष्ट को पृथक करेंगे तथा जमा करेगे।

(ग) सभी अपषिश्ट उत्पादक प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन जैसे अपशिष्ट संग्रहण या प्रवर्तन या उसी सुविधा इत्यादि के लिए फीस या शुल्क का भुगतान करेंगे जो इस हेतु नगर पालिका परिषद् द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2019 के अनुसार में विनिर्दिष्ट की जाय।

(घ) खुली जगह में कोई समारोह आयोजित किये जाने या एक सौ से अधिक व्यक्तियों को एक जगह जमा करने जिसमें प्लास्टिक या मल्टीलेयर पैकेजिग में योजना सामग्री देना अतिग्रस्त हो के लिए जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति ऐसे समारोह के दौरान उत्पादित अपशिष्ट को पृथक करेगा और प्रतिबन्धित करेगा। ऐसे समारोह कार्य आयोजन से कम से कम तीन कार्य दिन पूर्व शहरी स्थानीय निकाय को सूचित करना चाहिए तथा शहरी स्थानीय निकाय द्वारा यथा नियत दैनिक रेंटल चार्ज का भुगतान कर वैसे पृथक्कृत अपशिष्ट के भण्डारण के लिए 1.1 वर्ग मी0 का दो की संख्या में कन्टेनर रखने हेतु नगर पालिका परिषद्,रामनगर से अनुरोध किया जाना चाहिए।

14.3 <u>उत्पादक आयातक तथा ब्रांड मालिक के उत्तरदायित्व</u> :-

(क) उत्पादक उप विधि के प्रकाषन की तिथि से 6 माह की समयसीमा के भीतर विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व आधारित अपशिष्ट संग्रहण प्रणाली के लिए मॉडलिटी तैयार करना तथा निदेशक शहरी विकास निदेशालय उत्तराखण्ड को व्यक्तिगत रूप से सामूहिक रूप से अपने वितरण चैनल या सम्बन्धित स्थानीय निकाय के माध्यम से उसे अन्तरित करेंगे।

(ख) उत्पादक राज्य प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड से रजिस्ट्रीकृत होगे।

(ग) सभी उत्पादक, ब्रान्ड मालिक या आयातक जो मल्टीलेयर प्लास्टिक शीट या पाउच या पैकेजिंग इत्यादि का उपयोग करते हुए अपने उत्पादों का विक्रय विपणन करते हुए अपने उत्पादों के चलते उत्पादित अपशिष्ट को वापस संग्रह करने की प्रणाली स्थापित करने के लिए प्राथमिक रुप से जिम्मेदार होगें।

(घ) उपयोग किए गए मल्टीलेयर प्लास्टिक सेचेट या पाउच या पैकेजिंग के सग्रहण की प्राथमिक जिम्मेदारी उत्पादकों, आयात को और ब्रान्ड स्वामियों की है, जो बाजार में उत्पादों को उपस्थापित करते है। उनके उत्पादों के चलते उत्पादित प्लास्टिक अपशिष्ट वापस संग्रह करने हेतु कोई प्रणाली स्थापित करना उनकी आवश्यकता है। यह संग्रहण योजना स्थापना या प्रवर्तन या नवीनीकरण हेतु सहमति के लिए आवेदन करते समय राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को समर्पित करनी है।

(ड) प्रत्येक उत्पादक कच्चे माल के रुप में प्लास्टिक शीट या इसी प्रकार वस्तु या प्लास्टिक शीट या मल्टीलेयर पैकेजिंग के बने कमरे के निर्माण हेतु प्लास्टिक की आपूर्ति में लगे व्यक्तियों के ब्यौरे का एक अभिलेख संधारित करेगा।

(च) प्लास्टिक का उपयोग करते हुए रिसाईक्लेबल मल्टीलेयर तथा पेपर आधारित कार्टून पैकजिंग सामग्री के विनिर्माता/ब्रांड मालिक, उत्पादक अपनी विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ई.पी.आर.) योजना जिसमें प्लास्टिक अपशिष्ट के संग्रहण के लिए विद्यमान बेस्ट वर्कर्स /स्क्रैप ट्रेडर्स, रिटेलर्स, के साथ समन्वय/सहयोग और उनके स्वंय स्थापित रिसाईक्लिंग प्लांट या उत्पादक उत्तरदायी संगठन (पी0आर0ओ0) स्थापित करके रजिस्टर्ड रिसाईकिलर्स जो अभिन्न प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन संग्रहण से अंतिम निपटारे तक 100 प्रतिशत जिम्मेदार होगें, कर्मठता क्रियान्वित करेगें।

(छ) पी.ई.टी. बोतल (P.E.T. BOTTLE) उत्पादकों/उद्योगों को यह सुनिश्चित करने की पूर्ण जिम्मेदारी होगी कि उत्पादकों द्वारा यथा विनिश्चित वापसी दर या खरीद बैंक दर पर रिटेलर्स से इन बोतलों का संग्रहण किया जाय। और यह सुनिश्चित करेगें कि इनका रिसाईकिल किया जाय। पी.ई.टी. बोतलों पर वापसी/खरीद बैंक की कीमत स्पष्ट रुप से मुद्रित करने की जिम्मेदारी उत्पादकों की है।

(ज) बहुसंख्या में पी.ई.टी. बोतल उपभोक्ताओं जैसे होटल, मैरिज हॉल/पार्टी हॉल, बाह्य खेल, स्थानों कार्यालयों/संस्थाओं की प्लास्टिक अपशिष्ट के संग्रहण के लिए उपलब्ध करना उनके लिए आज्ञापक होगा।

(झ) रिटेल पैकेजिंग मैटेरिल के लिए विनिर्माता संघ तथा रिटेलर के खरीद बैंक क्रिया विधि के माध्यम से ग्रॉसरिज एंव अभाव के पैकिंग के लिए उपयोग किए गए प्लास्टिक पैंकिग के लिए उपयोग किए गए प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्रियों के संग्रहण एक क्रिया विधि सृजित करके सामूहिक रुप से कार्य करेगें तथा संग्रह की गई प्लास्टिक सामग्रियों का रिसाईकिल करना तथा निपटारा करना सुनिश्चित करेगें।

14.4 रिटेलर्स स्ट्रीट वेंडर, खाने वालें/हॉकर इत्यादि की जिम्मेदारी :-

(क) दुकानदार, वेंडर, थोक विक्रेता, रिटेल वेंडर खाने वाले हॉकर, फेरीवाला या सब्जीवाला सहित कोई भी व्यक्ति खाने योग्य या न खाने योग्य माल या सामग्रियों के भण्डार वितरण के लिए किसी भी प्रकार के कैरी बैगों का विक्रय भण्डारण या वितरण या उपयोग नही करेगा।

(ख) प्लास्टिक कैरी बैग का दुकानदार/विक्रेता रिटेलर या ट्रेडर्स, पर्यावरण वन एंव जलवायु परिवर्तन विभाग उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित अधिसूचना के दिनांक से समय सीमा के भीतर उद्योग विक्रय स्टॉक समाप्त कर देगें, उस कालावधि के बाद किसी ऐसे प्लास्टिक कैरी बैंग विक्रय भण्डारण या उपयोग इस उपविधि की अनुसूची-1 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट जुर्माने के अधीन होगा।

(ग) मल्टीलेयर पैकेजिंग या प्लास्टिक शीट या इस प्रकार वस्तु या प्लास्टिक शीट के बने कवरों , जो इस नियमावली के अनुसार विनिर्मित या लेवल न किया गया हो, वस्तुओं को बेचने वाला या उपलब्ध करने वाला प्रत्येक रिटेलर या स्ट्रीट वेंडर इस उपविधि की अनुसूची-1 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट जुर्माने के भुगतान का दोषी होगा।

14.5 राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एस.पी.सी.),उत्तराखण्ड शासन की जिम्मेदारी :-

(क) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्लास्टिक उत्पादों के विनिर्माण तथा मल्टीलेयर पैकेजिंग, प्रोसेसिंग और प्लास्टिक अपशिष्ट के निपटारे से सम्बन्धित इस नियमावली के प्राविधानो को लागू करने हेतु प्राधिकार होगा।

(ख) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उत्तराखण्ड शासन प्लास्टिक अपशिष्ट नियमावली 2016 के क्रियान्वयन पर एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई तक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को समर्पित करेगा।

14.6 जिला स्तरीय समीक्षा एंव मोनिटरिंग समिति :-

(क) ठोस एंव प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन क्रियाकलापों से सम्बन्धित कार्यो की समीक्षा एंव मोनिटरिंग करना।

(ख) ठोस अपशिष्ट एंव प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन पर जिला के शहरी स्थानीय निकाय की कार्य योजना का पुनर्वलोकन करना तथा प्लास्टिक एंव ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 के सभी प्राविधानों को क्रियान्वित करना।

(ग) ठोस अपशिष्ट एंव प्लास्टिक अपशिष्ट का बेसलाईन डेटा बेस तैयार करने तथा स्थिति विश्लेषण करने हेतु शहरी स्थानीय निकायों को निर्देश देना।

(घ) ठोस अपशिष्ट/प्लास्टिक प्रबन्धन अभियान की प्रगति का मोनिटरिंग करना और यथावश्यक सामयिक सुधार करना तथा नियमित समीक्षा करना एंव नगर विकास एंव आवास विभाग तथा अन्य राज्य समन्वय एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना।

(ड) शहरी स्थानीय निकाय के ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एंव ठोस अपशिष्ट प्रोसेसिंग डिस्पोजल सुविधा स्थापित करने के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान और स्थान निर्धारण पर तीन माह पर कम से कम एक बार शहरी स्थानीय निकाय के कार्यपालन की समीक्षा सभी समिति करेगी।

(च) वार्ड स्वच्छता समिति, सहायक संगठन, लाईन विभागों तथा सिविल सोसाईटी संगठनों के साथ प्रणाली स्थापित करने में जो ठोस तथा प्लास्टिक अपशिष्ट के सामुदायिक स्तर पर मोनिटरिंग तथा प्रबन्धन करने का समर्थन करने के समन्वय से सीधा निर्देश देगी और कार्य करेगी।

(छ) शहरी स्थानीय निकाय के परामर्श से वार्ड स्तरीय मोनिटरिंग के लिए किसी समिति/उपसमिति को उत्तरदायित्व सौपेगी।

14.7 सिटी स्कवाड/टास्कफोर्स की जिम्मेदारी सिटी स्कवाड/टास्कफोर्स निम्नलिखित कार्यो का जिम्मा लेगा-

(क) नगर क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न दुकानों भोजशालाओं, सब्जीवालों तथा वाणिज्यक दुकानों में अचानक निरीक्षण का संचालन करना और इन व्यवसायीयों द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैगों को जब्त करना।

(ख) प्रतिबंधित पॉलिथीन पैकेजिंग मैटेरियल तथा 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाला और जो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 में किए गए प्राविधानों के अनुसार लेबल अथवा मार्क नही किए गऐ हो सहबद्ध उत्पादों को जब्त करना।

(ग) इस उपविधि की अनुसूची-1 में विहित व्यतिक्रमियों से जुर्माना वसूल करना।

(घ) नगर प्लास्टिक कैरी बैगों अंतराज्य सचंलन तथा विक्रय को रोकना।

(ड) नगर प्लास्टिक कैरी बैगों का किसी बाहर के क्षेत्र से किसी व्यक्ति/व्यवसायी/स्टाकिस्ट को बेचने से रोकना।

अनुसूची-1

क्र० सं०	अपराध	प्रशमन चार्ज		
		प्रथम बार	द्वितीय बार	प्रत्येक बार दुहराए जाने पर
१	मोटाई और आकार का विचार किए बिना प्लास्टिक कैरी बैगों के उत्पादन, वितरण व्यवसाय, भण्डारण विक्रय	२०००	३०००	५०००
२	प्लास्टिक कैरी बैंग का उपयोगकर्ता			
i	वाणिज्यक उपयोगकर्ता	१५००	२५००	३५००
ii	घरेलू उपयोगकर्ता	१००	२००	५००
३	मल्टीलेयर पैकेजिंग या प्लास्टिक शीट या ऐसी ही वस्तु या प्लास्टिक शीट से बने कवर जो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धनों के अनुसार विनिर्मित लेबल या मार्क नही किए गए हों, मे वस्तुओं का उपयोग विक्रय या उसे उपलब्ध करना।	२०००	३०००	५०००
४	प्लास्टिक अपशिष्ट को खुले में जलाना।	२०००	३०००	५०००
५	सार्वजनिक स्थानों पार्क, नाला, पुरातात्विक स्थलों तथा अन्य प्रतिबंधित स्थानों मे प्लास्टिक अपशिष्ट का फैलाना।	१०००	१५००	२०००
६	शहरी स्थानीय निकाय को सूचना दिए बिना इस उपविधि के अनुसार व्यवस्था किए बिना कोई समारोह या सभा आयोजित या एक सौ से अधिक व्यक्तियों को जमा करने के जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति	१५००	२०००	२५००

इस उपविधि के प्राविधानों के अनुसार किसी भी व्यक्ति (निर्माता, उत्पादक, आयातक, खुदरा विक्रेता, सडक विक्रेता, स्टाकिस्ट इत्यादि) के साथ पाए गए प्रतिबंधित सामान इस उप-कानून के प्राविधानो में उल्लिखित अनुसार जब्त कर लिया जायेगा।

फॉर्म - IV

(प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 का)

(नियम 17(1)के अधीन)

स्थानीय निकाय के नाम प्लास्टिक अपशिष्ट प्रोसेसिंग या रिसाईकिलिंग सुविधा के ऑपरेटर द्वारा समर्पित किए जाने वाले वार्षिक रिर्पोट का प्रपत्र।

क्र0 स0	रिपोर्ट की कालावधि	
1	सुविधा ऑपरेटर का नाम और पता	
2	सुविधा के प्रभारी अधिकारी का नाम	
	टेलीफोन	
	फैक्स	
	मोबाईल	
	ई-मेल	
3	हैसियत	
4	प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबन्धन के लिए उपयोग की जानेवाली प्रौद्योगिकी	
5	वर्ष के दौरान स्रोत के साथ-साथ रिपोर्ट की जाने वाली प्राप्त प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा	
6	प्रसंस्कृत प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्र (टनों में)	
7	भूमि को भरने वाले स्थल पर अंतिम निपटारे के लिए भेजी गई निष्क्रिय या अस्वीकृत की मात्रा	
8	फार्म भरने की सुविधा का ब्यौरा जिसके अंतिम निपटारे के लिए निष्क्रिय या अस्वीकृत भेजे गए थे पता - टेलिफोन -	
9	पर्यावरणीय शर्तों के अनुपालन की स्थिति यदि सहमति या रजिस्ट्रेशन मंजूरी के दौरान विनिर्दिष्ट किया गया हो सलंग्न किया जाय।	
	दिनांकः स्थानः	आपरेटर का हस्ताक्षर

फॉर्म - V

(प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 का)

(नियम 17 (2) के अधीन)

शहरी विकास एंव आवास विभाग के प्रभारी सचिव को शहरी स्थानीय निकाय द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन पर किए जाने वाले वार्षिक रिपोर्ट का प्रपत्र।

क्र0 स0	रिपोर्ट की कालावधि	
1	नगर, शहर और राज्य का नाम	
2	जनसंख्या	
3	वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र	
4	शहरी स्थानीय निकाय का नाम और पता–	
	टेलिफोन संख्या–	
	फैक्स संख्या–	
	ई–मेल–	
5	अधिकारिता के अधीन क्षेत्र में वार्डों की कुल संख्या	
6	अधिकारिता के अधीन क्षेत्र में मकानों की कुल संख्या	
7	डोर–टू–डोर संग्रहण द्वारा आच्छादित मकानों की संख्या	
8	अधिकारिता के अधीन क्षेत्र में वाणिज्यक स्थापनाओं और संस्थाओं की कुल संख्या	
9	वाणिज्यक स्थापनाये	
	संस्थाएं	
10	अधिकारिता के अधीन क्षेत्र में उत्पादि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए रखे गये यंत्र के साथ–साथ डोर–टू–डोर संग्रहण के लगी एजेंसियों के ब्यौरे का संक्षिप्त विवरण	
11	अधिकारिता के अधीन क्षेत्र से उत्पादित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए स्थान पर लगाए गये आधारभूत संरचना का ब्यौरा सलंग्न करें।	
12	अपेक्षित आधारभूत संरचना का ब्यौरा औचित्य के साथ–साथ यदि कोई हो, सलंग्न करें।	
13	अधिकारिता के अधीन क्षेत्र से वर्ष के दौरान उत्पादित अपशिष्ट की मात्रा (टनों में)	
14	अधिकारिता के अधीन क्षेत्र से वर्ष के दौरान संग्रह किये गए प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा (टनों में)	
15	वर्ष के दौरान रिसाईक्लिंग के लिए चैनल कृत प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा (टनों में)	

16	वर्ष के दौरान उपयोग के लिए चैनल कृत प्लास्टिक अपशिष्ट की मात्रा (टनों में)	
17	वर्ष के दौरान भूमि भराई स्थल को भेजे गये निष्क्रिय या अस्वीकृत मात्रा (टनों में)	
18	प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रोसेसिंग और निपटारे के लिए उपयोग की गई प्रत्येक सुविधा का ब्यौरा	
	सुविधा-I	
	ऑपरेटर का नाम	
	पता-	
	टेलिफोन या मोबाईल संख्या-	
	क्षमता-	
	उपयोग की गई प्रौद्योगिकी -	
	रजिस्ट्रेशन संख्या	
	रजिस्ट्रेशन की विधिमान्यता तक-	
	सुविधा- II	
	ऑपरेटर का नाम	
	पता-	
	टेलिफोन या मोबाईल संख्या-	
	क्षमता-	
	उपयोग की गई क्षमता-	
	रजिस्ट्रेशन की विधिमान्यता तक-	
19	गली में झाड़ू लगाने, सेकेन्डरी भण्डार परिवहन, प्रोसेसिंग तथा अपशिष्ट का निपटारा सहित शहरी स्थानीय निकाय के संवय के द्वारा फैलाई गई मानव षक्ति का ब्यौरा दें।	
20	गली में झाड़ू लगाने भण्डार परिवहन, प्रोसेसिंग तथा अपषिश्ट का निपटारा सहित संग्रहण के लिए ठेकेदार रियायत ग्राही व्यक्ति द्वारा फैलाई गई मानव शक्ति का ब्यौरा दें।	
21	वित्तीय दवाब, यदि कोई हो, सहित इस नियमावली के प्रावधानों के अनुपालन में शहरी स्थानीय निकाय द्वारा अनुभव की गई कठिनाईयों को संक्षेप में वर्णन करें।	
22	क्या नगर में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के उपायों को विकसित करने के लिए कार्य योजना बनाई गई है, यदि हाँ (प्रतिलिपि संलग्न करें) पुनरीक्षण की तिथि-	

भरत त्रिपाठी,
अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद्, रामनगर (नैनीताल)।

मो. अकरम,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्, रामनगर (नैनीताल)।

कार्यालय नगर निगम, काशीपुर जिला–ऊधमसिंह नगर

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड) की धारा 541 के अन्तर्गत नगर निगम सीमान्तर्गत विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक लाईसेन्स/पंजीकरण उपविधि

20 मई, 2022 ई0

पत्रांक–191/मु0कार्यालय/2022–23– नगर निगम काशीपुर, जिला ऊधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड) ने उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड) की धारा 541 के अन्तर्गत नगर निगम सीमान्तर्गत विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक लाईसेन्स/पंजीकरण को नगर निगम काशीपुर की स्वीकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के व्यवसायियों पर लाईसेन्स/पंजीकरण शुल्क लगाये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिये निम्नानुसार नीति बनाया जाना प्राविधानित है। लाईसेन्स हेतु उक्त प्रस्तावित उपविधि के लागू होने की तिथि के उपरान्त पूर्व में प्राविधानिक लाईसेन्सों/पंजीकरण शुल्क उपनियम स्वतः समाप्त हो जायेंगे।

परिभाषा:-

1- यह नीति नगर निगम काशीपुर की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत विभिन्न व्यवसायों को नियन्त्रण करने हेतु लाईसेंन्स/पंजीकरण शुल्क एवं अन्य शुल्क उपविधि वर्ष 2017 कहलायेगी जो यह गजट प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

(क)- अधिनियम-अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अधिनियम 1959 यथा प्रभावी उत्तराखण्ड से है।
(ख)- नगर निगम सीमा से तात्पर्य-नगर निगम काशीपुर जो शासन द्वारा निर्धारित क्षेत्र से है।
(ग)- नगर आयुक्त-नगर आयुक्त का तात्पर्य नगर निगम काशीपुर के नगर आयुक्त से है।
(घ)- मेयर-मेयर का तात्पर्य नगर निगम काशीपुर के निर्वाचित मेयर(महापौर) से है।
(ड़)- बोर्ड-बोर्ड का तात्पर्य नगर निगम काशीपुर के बोर्ड से है।
(च)- लाईसेन्स/पंजीकरण अधिकारी-लाईसेन्स/पंजीकरण अधिकारी का तात्पर्य नगर निगम काशीपुर के नगर आयुक्त एवं जिसे दायित्व सौंपा जाये।

2- नगर निगम, काशीपुर की सीमा के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति तभी व्यवसाय करने का पात्र होगा जब उसके द्वारा इस हेतु नगर निगम, काशीपुर कार्यालय में निर्धारित शुल्क का भुगतान कर लाईसेन्स प्राप्त कर लिया हो।

3- इस नियम/उपनियम के अन्तर्गत लाईसेन्स की अवधि प्रतिवर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च तक की वित्तीय वर्ष के लिये वैध होगी।

4- लाईसेन्स जारी करने हेतु लाईसेसिंग अधिकारी नगर आयुक्त होंगे या उनके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी (यथा उप नगर आयुक्त/सहायक नगर आयुक्त/नगर स्वास्थ्य अधिकारी/कर अधीक्षक आदि) होंगे।

5- प्रत्येक व्यवसायी अथवा उद्यमी को इन उपविधियों के अधीन नगर निगम काशीपुर के कार्यालय से निर्धारित शुल्क जमा करने पर प्रतिवर्ष फरवरी के प्रथम सप्ताह से 31 मार्च तक लाईसेन्स प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

6- लाईसेन्स अधिकारी को लाईसेन्स निर्गत करने से पूर्व उसके विवेकानुसार दुकान/प्रतिष्ठान/हास्पिटल/नर्सिंग होम/एजेन्सी/कम्पनी/प्रशिक्षण केन्द्र आदि व्यवसायियों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा अथवा लाईसेन्स अधिकारी द्वारा नियुक्त कर्मचारी जो कि निरीक्षक पद की श्रेणी से कम न हो के द्वारा जांच करने पर लाईसेन्स निर्गत करेगा।

7- कोई भी ऐसा व्यक्ति जो छूत की बीमारी से पीड़ित हो तो वह स्वयं ऐसा व्यवसाय नहीं करेगा और न ही ऐसे व्यवसाय में किसी भी ऐसे व्यक्ति को सेवायोजित करेगा।

8- लाईसेन्स अधिकारी इन उपविधियों के अधीन खान-पान से सम्बन्धित व्यवसाय होटल, दुकानों, हलवाईयों, सब्जी विक्रेताओं आदि की दुकानों के निरीक्षण के समय पायी जाने वाली गन्दगी के विरूद्ध अथवा सड़ी गली फल सब्जियों को रखने व विक्रय करने के विरूद्ध कार्यवाही करने अथवा मानव अनुपयोगी पदार्थ को नष्ट करने का अधिकार होगा।

9- प्रत्येक व्यापारी को चाहिये कि वह नगर निगम काशीपुर कार्यालय से लाईसेन्स प्राप्त करने हेतु प्रत्येक वर्ष माह फरवरी के प्रथम सप्ताह से 31 मार्च तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन करेगा और व्यवसाय हेतु आवश्यक शुल्क जमा कर लाईसेन्स प्राप्त कर सकेगा।

10- इन उपविधियों के अधीन खान-पान से सम्बन्धित व्यवसायों, दुकानदारों, व्यक्तियों की दुकान से अलग-बगल व सामने प्रवेष कक्ष के समक्ष दुकान का कूड़ा व अन्य ऐसी अनुपयुक्त गन्दी वस्तुऐं रखने व प्रदर्शित करने का अधिकार नहीं होगा, जो किसी व्यक्ति आदि को सामाजिक दृष्टि से हानिकारक/जनस्वास्थ्य के विपरीत हो।

11- लाईसेन्स धारक यदि अपने लाईसेन्स/पंजीकरण का नवीनीकरण माह फरवरी के प्रथम सप्ताह से 31 मार्च तक नहीं कराता है तो उसे 15 अप्रैल के पश्चात् देय शुल्क पर विलम्ब शुल्क भी देना होगा, विलम्व हेतु निर्धारित शुल्क रू0 10/- प्रतिदिन की दर से लाईसन्स हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक देय होगा।

12- कोई भी व्यक्ति/लाईसेन्स धारक यदि अपना व्यवसाय कम अथवा बन्द करेगा तो उसे इस हेतु रू0 10/- के स्टाम्प पेपर पर प्रार्थना पत्र माह फरवरी के अन्तिम सप्ताह के पूर्व प्रस्तुत करना होगा, तत्पश्चात लाईसेंस अधिकारी [illegible] निरीक्षण कर

13- इस उपविधि के किसी प्राविधान से यदि राज्य सरकार असन्तुष्ट है या उपविधि के किसी प्राविधान का दुरूपयोग हो रहा है अथवा कोई प्राविधान जनहित में नही है तो उक्त प्राविधान को परिष्कृत करने/छूट देने का अधिकार राज्य सरकार को होगा।

14- नगर निगम सीमान्तर्गत कोई भी व्यक्ति ऐसी वस्तुओं का व्यवसाय नहीं करेगा जिस पर राज्य सरकार/शासन द्वारा पूर्ण निषेध किया जा चुका हो।

15- इन उपविधियों के प्रभावी होने की तिथि से स्वीकृत नियमावली में लिखित व्यवसायों/उद्यमों से सम्बन्धित पूर्व प्रभावी समस्त लाईसेन्स दर/उपनियम स्वतः समाप्त होकर, इस नियमावली के अधीन हो जायेंगे।

16- केन्द्र या राज्य सरकार या अन्य विधिनिहित संस्था के द्वारा निगम में उल्लेखित व्यवसायों के नियन्त्रण हेतु लाईसेन्स इन उपविधियों से भिन्न होंगे।

17- नगर निगम काशीपुर द्वारा अपनी सीमा के अन्तर्गत विभिन्न व्यवसाय करने वाले दुकानदारों के स्वामियों का एक रजिस्टर बनाया जायेगा उसी के आधार पर वार्षिक लाईसेन्स नियत प्रपत्र पर जारी किया जायेगा। यदि कोई व्यवसायी निर्धारित अवधि में लाईसेन्स नहीं बनाता है तो उससे लाईसेन्स धनराशी वसूली हेतु नगर निगम अधिनियम 1959 के अन्तर्गत प्रदत्त प्राविधानों के तहत भू-राजस्व की भांति वसूली करने का अधिकार नगर निगम काशीपुर में सुरक्षित होगा।

18- नगर निगम काशीपुर की सीमा के अन्तर्गत लगने वाले मेले में अस्थाई व्यवसाय की दरें जो व्यवसाय सूची में नही है उनकी लाईसेन्स दरें नगर निगम काशीपुर के कार्यकारिणी समिति/नगर आयुक्त द्वारा तय की जा सकेंगी।

19- कोई भी व्यक्ति नगर निगम सीमा के अन्तर्गत बोझ आदि ढोने अथवा मजदूरी के रूप में किये जाने वाले पारिश्रमिक कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सुरक्षा की दृष्टि से अपने अभिलेखीय दस्तावेजों को सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेगा। उसके पश्चात् उक्त कार्य कर सकेगा।

20- नर्सिंग होम/हॉस्पिटल आदि को बायोमेडिकल वेस्ट नियम का पालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करना होगा।

(क)- शैय्याओं/बैडों हेतु कक्षों (कमरों) की उचित व्यवस्था होनी चाहिए।

(ख)- पर्यावरण और शुद्ध वायु की संतोषजनक व्यवस्था हो।

(ग)- पानी/स्नानागार एवं शौचालय की समुचित व्यवस्था हो।

(घ)- वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था हो। जिस हेतु नगर स्वास्थ्य अधिकारी समय समय पर निरीक्षण करेंगे।

21- बैंकट हॉल/होटल को नगर निगम के द्वारा स्वच्छता के सम्बन्ध में समय समय पर बनाये गये नियम व एस0डब्लू0एम0 नियम 2000 का पालन प्रत्येक दशा में करना होगा। वाहनों हेतु पार्किंग होनी चाहय, एवं वाहन फुटपाथ पर खड़ें नहीं किये जायेंगे।

22- कोई भी व्यक्ति जो पशुओं का पालन करता हो जिससे वह बोझा ढोने के रूप में पारिश्रमिक प्राप्त करता हो तो प्रति पशु का नगर निगम काशीपुर में निर्धारित शुल्क जमा कर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। उसके पश्चात् ही उक्त प्रकार के पशुओं से बोझा ढोने का कार्य करा सकेगा। पशु शारीरिक रूप से स्वस्थ होने का प्रमाण भी देगा, अन्यथा उक्त की स्थिति में पशु क्रूरता अधिनियम के अन्तर्गत दण्ड का भागी होगा।

23- नगर निगम मेयर/नगर आयुक्त या उनके द्वारा अधिकृत कर्मचारी को किसी भी समय किसी भी व्यवसाय/दुकान आदि के लाईसेन्स का परीक्षण करने का अधिकार होगा।

24- नगर निगम द्वारा जारी किये जाने वाले कुछ लाईसेन्सों में यदि भारत सरकार/राज्य सरकार/अन्य द्वारालाईसेन्स/रजिस्ट्रेशन होता हो तो उसके प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही नगर निगम से लाईसेन्स/रजिस्ट्रेशन जारी किये जायेंगे।

25- ट्रान्सपोर्ट/मोटर वाहन सेल्स एवं सर्विस आदि फुटपाथ/सड़क पर कोई वाहन खड़ा/सर्विस आदि नहीं करेगा।

26- यदि उपयुक्त लाईसेन्स/पंजीकरण जारी होने से विवाद उत्पन्न होता है तो नगर आयुक्त के समक्ष उसकी अपील होगी तथा नगर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध आदेश की तिथि के 30 दिन के अन्दर द्वितीय अपील मा0 नगर प्रमुख के समक्ष की जायेगी। नगर प्रमुख को 30 दिन के अन्दर अपील का निस्तारण करने का निर्णय देना होगा।

27- कोई भी व्यवसायी सड़क/फुटपाथ पर व्यवसाय करने का पात्र नहीं होगा।

28- पेट्रोल/डीजल/आयल कम्पनी को वितरण स्थल पर वाहन को तेल भराने हेतु पर्याप्त स्थान की व्यवस्था के साथ ही शौचालय/पानी की व्यवस्था भी करनी होगी।

29- धुलाई/लान्ड्री हेतु पानी की निकासी प्राविधानिक तरीके से अपनायी जाये।

30- कोई भी व्यक्ति सरकारी भूमि पर जनरेटर नहीं लगायेगा। जनरेटर इस रीति से लगाया जाये कि वो साउन्ड प्रूफ एवं पाल्यूशन मुक्त हो।

31- पशु वध हेतु स्लाटर हाउस नियम 2000 व समय समय पर जारी नियमों का पालन करना होगा।

<u>दण्ड</u>

नगर निगम सीमान्तर्गत तैयार की गयी उपरोक्त उपविधियों के किसी भाग/अंश का उल्लंघन होने पर रू0 5000/- तक अर्थदण्ड किया जा सकेगा। जिसकी वसूली भू-राजस्व की भांति की जा सकती है। यदि समयान्तर्गत लाईसेन्स प्राप्त नहीं किया जाता है तथा निरन्तर उल्लघंन जारी रहा तो प्रथम दोष सिद्ध होने की तिथि से प्रतिदिन रू0 10/- की दर से अतिरिक्त अर्थदण्ड देय होगा।

नगर निगम सीमान्तर्गत प्रस्तावित नयी लाईसेन्स दरें निम्नवत् हैं:-

Major Trade	Trade Id	ULB Trade	Fees
Hotels/Lodge/Guest house/RESORT	1	होटल लोजिंग	
		50 बैड से अधिक	20000
		5 रूम तक	8000
		10 रूम तक	16000
		10 रूम से अधिक	20000
	2	3 स्टार होटल	20000
	3	4 स्टार होटल	25000
	4	5 स्टार होटल	30000
	5	गेस्ट हाउस	
		10 रूम तक	4000
		20 रूम तक	8000
		30 रूम से अधिक	10000
	6	होटल गाइड लाईसेन्स	2000
	7	होस्टेल्स	
		10 बेड तक	8000
		20 बेड तक	10000
		30 बेड तक	15000
		50 बेड तक	20000
		50 बैड से अधिक	25000
	8	हैल्थ रिसौर्ट	20000
		अन्य कोई	8000
	9	नर्सिंग होम	
		51 से 100 बेड तक	20000
		100 बेड तक	30000
		अन्य कोई	8000
	10	मेट्रनिटी होम/प्रसूति घर	
		21 से 50 बेड तक	16000
		50 से 100 बेड तक	20000
		100 बेड तक	25000
	11	डयागोनस्टिक सेन्टर(आल्ट्रासाउण्ड/सीटी स्कैन/ एम.आर.आई)	8000
	12	आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथी क्लीनिक	6000
	13	मेडिकल/आयुर्वेदिक स्टोर	4000
	14	वैटेरनेटी हॉस्पिटल	8000
		अन्य कोई	6000
Goods Carriage Transport ation	15	ट्रांसपोर्ट एजेन्सी (बिना वाहन)	8000
	16	ट्रांसपोर्ट एजेन्सी (वाहन सहित)	12000
		हेवी गूड्स	10000
		लाइट गूड्स	8000
	17	ट्राली/वाटर टैंक/सिवेज टैंक	6000
	18	अन्य 4 पहिया(व्यवसाहिक इंजिन के सा	8000
	19	लकड़ी टोल कर	2000
	20	धर्म कांटा	4000
	21	संग्रह केन्द्र	4000
		अन्य कोई	4000
	22	टैक्सी सर्विस	4000

	23	ऑटो रिक्शा	
		7 सीटर से ऊपर	2000
Passenger Transport ation	24	साईकिल रिक्शा	
		2 सीट	800
		4 सीट	1000
	25	ई रिक्शा 4 सीट या अधिक	2500
	26	रिक्शा पूलर	2000
	27	रिक्शा ड्राईवर लाइसेंस	2000
	28	रिक्शा स्वामी लाईसेन्स	3000
	29	रिक्शा किराये पर लाईसेन्स	3000
	30	रिक्शा स्वास्थ्य लाईसेन्स	2000
	31	रिक्शा एम्प्लीफायर विज्ञापन	4000
	32	मिनी बस	10000
	33	बस	15000
	34	स्कूटर एजेन्सी(सेल्स एंड सर्विसेस)	25000
	35	मोटर एजेन्सी(सेल्स एंड सर्विसेस)	40000
	36	साईकिल एजेन्सी(सेल्स एंड सर्विसेस)	15000
	37	रिक्शा एजेन्सी (सेल्स एंड सर्विसेस)	20000
	38	मोटर्स कार्यशाला	20000
	39	स्कूटर कार्यशाला	15000
	40	बोट स्वामी लाईसेन्स	4000
	41	बोट पूलर लाईसेन्स	2000
	42	पैडल बोट लाईसेन्स	
		(सिंगल सीट)	2000
		(डबल सीट)	4000
	43	तांगा/बुग्गी/हाथठेला/लकड़ी की टो	1000
	44	ऑटो उपकरण	3000
	45	गैरेज(पार्किंग हेतु)	2000
		अन्य कोई	4000
Health & Education/ Training	46	प्राइवेट स्कूल	
		प्राइमरी (5वीं)	6000
		जूनियर हाई स्कूल(8वीं)	8000
		हाई स्कूल (10वीं)	10000
		इण्टरमीडिएट(12वीं)	20000
	47	कम्प्यूटर शिक्षा केन्द्र	
		प्राइवेट	4000
		संबद्ध	3000
	48	कोचिंग क्लासेस एंड कोचिंग सेन्टर	
		प्राइवेट	6000
		संबद्ध	4000
	49	फिजिओथेरेपी क्लीनिक/योगा केन्द्र	6000
	50	स्विमिंग क्लासेसेस केन्द्र	10000
	51	जिम/व्यायामशाला/गेम्स	6000
	52	मूक बाधिर स्कूल	2000
	53	मोटर ट्रेनिंग स्कूल	6000
		अन्य कोई	5000
	54	रैस्टोरेंट एंड आल फूड्स	
		एसी	5000

		नान -एसी	2500
	55	बार रैस्टौरेंट	
		एसी	15000
		नान-एसी	10000
Restaurants	56	पब	20000
	57	ढाबा/भोजनालय	4000
	58	खानपान	3000
		अन्य कोई	3000
Petroleum	59	पेट्रोल/डीजल पम्प	
		थोक	20000
		खुदरा	10000
	60	केरोसिन/स्प्रिट/एसिड	
		थोक	5000
		खुदरा	3000
	61	कूकिंग गैस एजेंसी	
		थोक	25000
		खुदरा	10000
	62	अन्य पेट्रोलियम शाप	8000
		अन्य कोई	7000
Factory/Mill	63	कोल्ड ड्रिंक/सोडा/वाटर फैक्ट्री	10000
	64	साबुन फैक्ट्री	20000
	65	चुना भट्टी	4000
	66	स्पाइस मिल, पल्स ग्राईंडर	10000
	67	पीसने की मशीन	6000
	68	काटन मशीन	6000
	69	भूसा स्टोर	4000
	70	धान मशीन	8000
	71	शराब बाटलिंग प्लांट	40000
	72	आसवनी	30000
		अन्य कोई	10000
Workshops	73	लोहार	6000
	74	कबाड़ी	1000
	75	कबाड़ व्यवसाय	10000
	76	इलैक्ट्रिकल कार्यशाला	10000
	77	आरा मशीन	8000
	78	कम्प्रेशर/पंचर संबंधी	2000
	79	एल्यूमिनियम/लोहा बैल्डिंग कार्यशाला	6000
	80	ट्रैक्टर मरम्मत	6000
	81	पम्प मरम्मत	4000
	82	डेंटिंग पेंटिंग	4000
	83	अन्य कार्यशाला	4000
	84	संरचना/गढ़ाई/अन्य निर्माण कार्य	4000
	85	वाहनों की धुलाई	3000
	86	साईन बोर्ड/बैनर मेकर	4000
		अन्य कोई	4000
Powar	87	पावर	
		10 एचपी	2000
		10-20 एचपी	4000

		20-40 एचपी	6000
		50-100 एचपी	8000
		अन्य कोई	4000
LIVESTOCK/ Animal Husbandry	88	अंडा शॉप	6000
	89	मछली	4000
	90	सूअर व भैसा मीट शॉप	4000
	91	पशु वधशाला	10000
		बकरा मांस	4000
	92	पशु घर	6000
	93	पशुधन विक्रेता (पक्षी)	3000
	94	पशुधन विक्रेता (जानवर)	5000
	95	घी, दूध डेरी	4000
	96	मुर्गी फार्म	15000
	97	हड्डी खाल गोदाम	10000
		अन्य कोई	6000
Banking/ Insurance/ Finance	98	चिंट फंड	10000
	99	बैंक	20000
	100	मनी लेडर/एक्सचेंजर	15000
	101	एटीएम बैंक (ऑफ़ साइट/ऑन साईट	6000
		अन्य कोई	5000
Firms/Compnies/Agencies	102	आर्कीटेक्ट/सलाहकार	6000
	103	ओनर ऑफ टेलीकम्यूनिकेशन टावर	5000
	104	बिल्डरस/रजिस्टर ए क्लास	10000
	105	प्रापर्टी डीलर	10000
	106	स्टोन क्रेशर	20000
	107	विज्ञापन एजेन्सी	10000
	108	समाचार पेपर/मुख्य/जर्नल पब्लिशर(प्रेस के बिना)	15000
	109	समाचार पेपर/मुख्य/जर्नल पब्लिशर(प्रेस सहित)	25000
	110	कॉल सेंटर/बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग	10000
	111	फिल्म मेकिंग स्टूडियों	15000
	113	वैवाहिक एजेन्सी	10000
	114	सफाई ठेकेदार	8000
	115	माडलिंग एजेन्सी	10000
	116	व्यावसायिक/सदस्य क्लब	10000
	117	कार्यालय/चैम्बर/स्टूडियों	6000
		अन्य कोई	5000
Street Vendor	118	पान/सिगरेट शाप(खोखा)	3000
	119	जूस स्टाल	4000
	120	ईस्त्री स्टाल	2000
	121	चमड़ा उधम	5000
		अन्य कोई	4000
Liquor Retail	122	विदेशी शराब गोदाम	25000
	123	भांग का ठेका	10000
	124	विदेशी शराब की कैंटीन	10000
	125	देशी शराब की कैंटीन	8000
		अन्य कोई	6000
	126	जनरल स्टोर	4000
	127	किराना स्टोर	4000

Retail Shops/Stores	128	सरकारी जनरल व्यापारी	4000
	129	खादी वस्त्र भण्डार	4000
	130	स्वीट्स शॉप	4000
	131	मेवे की दुकान	4000
	132	बुक पब्लिशर/विक्रेता पुस्तक में आपूर्तिकर्ता	6000
	133	स्टेशनरी	4000
	134	फल और सब्जी की दुकान	5000
	135	फल और सब्जी की आढ़त	10000
	136	अनाज तिलहन चीनी गुड़ खंडसारी	
		थोक	10000
		खुदरा	5000
	137	धोबी	2000
	138	हाकर/फेरीवाला	1000
	139	चूड़ी विक्रेता	2000
	140	कपास/रुई विक्रेता	2000
	141	ऊन होजरी	2000
	142	फर्नीचर हाउस	
		ब्रांडेड	10000
		नान ब्रांडेड	6000
	143	हस्तशिल्प	4000
	144	टेलीविजन, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर एंड वाशिंग मशीन अप्लियांकेस	8000
	145	हार्डवेयर की दुकान	6000
	146	इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम	6000
	147	इलैक्ट्रिकल पार्ट्स आइटम	4000
	148	कन्स्ट्रकशन अँड बिल्डिंग माटेरियल्स	20000
	149	कम्प्यूटर हाडवेयर/सॉफ्टवेयर स्टोर	6000
	150	मोबाइल फान आउटलेट	10000
	151	क्लॉक रेपियर/सेल्लर	2000
	152	केबल/डिश टीवी ऑपरेटर	10000
	153	फोटो स्टूडियों/वीडियोग्राफर/साइबर कैफे/वीडियो गेमिंग	5000
	154	कूरियर सर्विस/लोजीस्टिक मैनेजमेंट	8000
	155	ई मेल/ई कामर्स/एंटरनेट/साइबर	5000
	156	समाचार पत्र वितरक	1000
	157	फोटोकापीयर और अन्य	1000
	158	उर्वरक की दुकान	6000
	159	डीजे ध्वनि	5000
	160	लाउडस्पीकर/एम्पलीफायर	4000
	161	बैंड मास्टर शॉप	4000
	162	फूल विक्रेता/आपूर्तिकर्ता	4000
	163	टैटू पार्लर	2000
	164	सांस्कृतिक या धार्मिक मेला या त्योहार	10000
	165	सुपर मार्केट	25000
	166	शोपिंग मॉल	20000
	167	सिनेमा हाल	20000
	168	मल्टीप्लेक्स	25000
	169	टेन्ट हाउस	10000

	170	छापाखाना	5000
	171	संग्रहालय/आर्ट गैलरी	8000
	172	पौधों की नर्सरी	2000
	173	पूजा सामग्री	2000
	174	समारिका स्टोर	2000
	175	सर्कस	10000
	176	प्रदर्शनी	10000
	177	पटाखों की दुकान	4000
	178	साप्ताहिक बाजार	15000
	179	दैनिक बाजार	10000

कृष्ण कुमार मिश्र,
नगर आयुक्त,
नगर निगम काशीपुर।

उषा चौधरी,
महापौर,
नगर निगम काशीपुर।

दिनांक 18–12–2017

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 31 हिन्दी गजट/467–भाग 8–2022 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।